एनुअल पॉलिसी रिव्यू

अप्रैल 2024 – मार्च 2025

पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च अप्रैल 2025

इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़
तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय
212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली - 110 002
टेलीफोन: (011) 4343 4035

www.prsindia.org

योगदानकर्ता:

प्राची मिश्रा
साकेत सूर्य
अत्रि प्रसाद राउत
निरंजना एस मेनोन
नृपेंद्र सिंह
शिरीन पजनू
सृष्टि सिंह
तुषार चक्रवर्ती
वैशाली धारीवाल

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

विषयसूची

वित्त 02

मैक्रोइकोनॉमिक विकास 02

फाइनांस 05

कॉरपोरेट मामले 13

वाणिज्य एवं उद्योग 14

खान 16

कृषि 16

मीडिया एवं प्रसारण 21

इंफ्रास्ट्रक्चर 22

संचार एवं आईटी 22

बिजली 23

पेट्रोलियम 25

रेलवे 26

नागरिक उड्डयन 26

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 27

शिपिंग 28

विकास 31

शिक्षा 31

कौशल विकास 34

युवा मामले एवं खेल 34

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 35

स्वास्थ्य 35

पर्यावरण 36

ग्रामीण विकास 37

आवास एवं शहरी मामले 38

जनजातीय मामले 39

कानून और सुरक्षा 40

गृह मामले 41

कानून एवं न्याय 41

अल्पसंख्यक मामले 43

वर्ष की झलकियां

समष्टि आर्थिक विकास

2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 6.5% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2023-24 में 9.2% से कम है। 2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 4.6% रही, जो 2023-24 में 5.4% से कम थी। भारत ने अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान जीडीपी के 1.3% का चालू खाता घाटा दर्ज किया, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान घाटा जीडीपी का 1.1% था।

गृह मंत्रालय

आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में संशोधन करके राज्यों को शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की अनुमति दी गई है। विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और प्रवास को रेगुलेट करने वाले कानूनों को समेकित करने के लिए आप्रवास और विदेशी विषयक बिल भी पेश किया गया।

कानून और न्याय

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित एक संविधान संशोधन बिल पेश किया गया।

अल्पसंख्यक मामले

वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक बिल लोकसभा में पेश किया गया जिसकी समीक्षा ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमिटी द्वारा की गई।

खान

पर्यावरण मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण और उत्पादन कार्यों पर नियम अधिसूचित किए। सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा।

वित्त

आयकर एक्ट, 1961 के स्थान पर आयकर बिल, 2025 प्रस्तुत किया गया। आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की शर्तों को संशोधित किया। आरबीआई ने इरादतन और बड़े चूककर्ताओं के समाधान के संबंध में निर्देश जारी किए।

पर्यावरण

बीमा कंपनियों की देयता की सीमा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक देयता नियम, 1991 में संशोधन किया गया।

शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए।

स्वास्थ्य

सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया है। इस योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज मिलेगा।

आवास एवं शहरी मामले

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को पांच वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया। सरकार ने पीएमएवाई शहरी 2.0 को भी मंजूरी दी

इंफ्रास्ट्रक्चर

नागरिक उड्डयन को रेगुलेट करने के लिए भारतीय वायुयान बिल, 2024 पारित किया गया। शिपिंग क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए कई बिल्स पेश किए गए हैं।

2024-25 के दौरान संसद ने छह बिल पारित किए।

तालिका 1: अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच संसद में पारित बिल

संक्षिप्त शीर्षक	क्षेत्र	मुख्य उद्देश्य
रेलवे (संशोधन) बिल, 2024	रेलवे	रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 को निरस्त करना तथा उसके प्रावधानों को रेलवे एक्ट, 1989 में शामिल करना।
आपदा प्रबंधन (संशोधन) बिल, 2024	गृह मंत्रालय	राज्यों को शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार देना।
तेल क्षेत्र (रेगुलेशन और विकास) संशोधन बिल, 2024	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	तेल क्षेत्र (रेगुलेशन और विकास) एक्ट, 1948 में संशोधन करना। खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करना, पेट्रोलियम पट्टे को शुरू करना और कुछ अपराधों पर दंड का प्रावधान।
बॉयलर्स बिल, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग	यह बिल बॉयलर एक्ट, 1923 का स्थान लेता है, जबकि एक्ट के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल, 2024	वित्त	बैंक जमा के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों की अनुमति देना।
भारतीय वायुयान बिल, 2024	नागरिक उड्डयन	यह बिल वायुयान एक्ट, 1934 का स्थान लेता है, तथा एक्ट के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है।

नोट: इस सूची में फाइनांस और एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं हैं।
स्रोत: संबंधित बिल; लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन; पीआरएस।

वित्त एवं उद्योग

समष्टि आर्थिक विकास

2024-25 में अर्थव्यवस्था की स्थिति

2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 6.5% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह 9.2% होगी।[1] 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी (मुद्रास्फीति के समायोजन के बिना कीमतों पर) 331 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय (मौजूदा कीमतों पर) 2,05,579 रुपए होने का अनुमान है।

तालिका 2: स्थिर मूल्यों पर विभिन्न क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) (वर्ष-दर-वर्ष, % में)

क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
कृषि	6.3%	2.7%	4.6%
खनन	3.4%	3.2%	2.8%
उत्पादन	-1.7%	12.3%	4.3%
बिजली	10.8%	8.6%	6.0%
निर्माण	9.1%	10.4%	8.6%
व्यापार	12.3%	7.5%	6.4%
वित्तीय सेवाएं	10.8%	10.3%	7.2%
सार्वजनिक सेवाएं	6.7%	8.8%	8.8%
जीवीए	7.2%	8.6%	6.4%
सकल घरेलू उत्पाद	**7.6%**	**9.2%**	**6.5%**

स्रोत: एमओएसपीआई; पीआरएस।

2024-25 में मुद्रास्फीति के रुझान

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) खुदरा स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। 2024-25 में सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6% थी, जो 2023-24 में 5.4% से कम थी। 2024-25 में खाद्य मुद्रास्फीति 7.3% थी जो 2023-24 में 7.5% से मामूली कम थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) लेनदेन के शुरुआती चरण के स्तर पर थोक बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है।[2] 2024-25 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2.3% थी, जबकि 2023-24 में -0.7% थी।

रेखाचित्र 1: 2024-25 में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष % में)

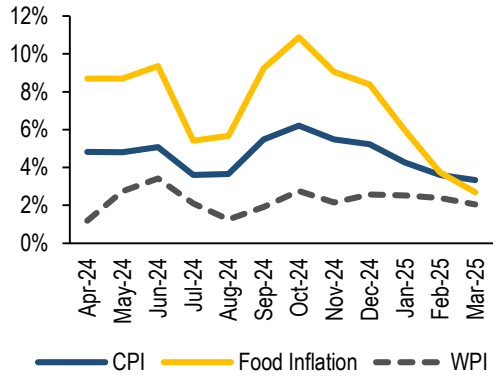

स्रोत: एमओएसपीआई; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; आरबीआई; पीआरएस।

2024-25 में भुगतान संतुलन

भुगतान संतुलन खाता शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन-देन को दर्शाता है। इसमें चालू खाता (माल और सेवाओं का निर्यात, प्रेषण और लाभांश भुगतान) और पूंजी खाता (इक्विटी निवेश और उधार के माध्यम से धनराशि का प्रवाह) शामिल हैं। भारत ने अप्रैल-दिसंबर 2024 में 37 बिलियन USD (जीडीपी का 1.3%) का चालू खाता घाटा दर्ज किया, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2023 में यह 30.6 बिलियन USD (जीडीपी का 1.1%) था।[3] अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान भारत के पूंजी खाते में 22.7 बिलियन USD का अधिशेष दर्ज किया गया। अप्रैल-दिसंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में 13.8 बिलियन USD की कमी आई और दिसंबर 2024 के अंत में यह 640 बिलियन USD रहा।[4]

तालिका 3: अप्रैल-दिसंबर 2024-25 में भुगतान संतुलन (बिलियन USD में)

मद	2022-23	2023-24	2024-25 (अप्रैल-दिसंबर)
क. निर्यात	456.1	441.4	325.5
ख. आयात	721.4	686.3	552.8
ग. व्यापार संतुलन (क-ख)	-265.3	-244.9	-227.2
घ. शुद्ध सेवाएं	143.3	162.8	135.5
ङ. अन्य हस्तांतरण	55.0	56.0	54.6
च. चालू खाता (ग+घ+ङ)	-67.1	-26.1	-37.1
छ. पूंजीगत खाता	58.9	89.5	22.7
ज. भूल-चूक लेनी-देनी	-1.0	0.3	0.6
झ. मुद्रा भंडार में परिवर्तन (च+छ+ज)	-9.1	63.7	-13.8

स्रोत: आरबीआई; पीआरएस।

मौद्रिक नीति निर्णय

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2024-25 में निम्नलिखित निर्णय लिए:

- फरवरी 2025 में रेपो दर (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है) को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया, जो फरवरी 2023 के बाद पहला बदलाव है।[5]
- स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट (वह दर जिस पर आरबीआई बिना कोलेट्रल दिए बैंकों से उधार लेता है) को 6.25% से घटाकर 6% कर दिया गया।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिसके तहत बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक दर (जिस पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज खरीदता है या रीडिस्काउंट करता है) को भी 6.75% से घटाकर 6.5% कर दिया गया।
- अक्टूबर 2024 में मौद्रिक नीति का रुख समायोजन से बदलकर तटस्थ हो गया।[6,7] ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि मुद्रास्फीति 4% लक्ष्य के अनुरूप हो।

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया

वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमन ने फरवरी 2025 में 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया।[8] बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- **व्यय:** सरकार ने 2025-26 में 50,65,345 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 7.4% अधिक है।
- **प्राप्तियां:** 2025-26 में प्राप्तियां (उधार के अलावा) 34,96,409 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान (31,46,960 करोड़ रुपए) से 11.1% अधिक है।
- **जीडीपी:** सरकार ने 2025-26 में 10.1% की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है (अर्थात वास्तविक विकास+ मुद्रास्फीति)।
- **घाटा:** 2025-26 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% रहने का लक्ष्य है, जो पिछले वर्ष (जीडीपी का 1.9%) से कम है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का लक्ष्य है, जो पिछले वर्ष (जीडीपी का 4.8%) से भी कम है।
- **कर प्रस्ताव:** नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में संशोधन किया गया है। 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कर योग्य आय पर 100% छूट मिलेगी। टीडीएस और टीसीएस की सीमा बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप और आईएफएससी को मिलने वाली कुछ कर छूट को बढ़ा दिया गया है।
- **नीतिगत प्रस्ताव:** बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। यह उन कंपनियों के लिए है, जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। एमएसएमई और स्टार्टअप को दिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई की परिभाषा संशोधित की जाएगी। निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए परमाणु ऊर्जा कानूनों में संशोधन किया जाएगा। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। कानूनों में कुछ अपराधों को अपराध से मुक्त करने के लिए जन विश्वास 2.0 बिल पेश किया जाएगा। रेगुलेटरी सुधारों का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। फसल विविधीकरण और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई जाएगी।

तालिका 4: केंद्रीय बजट की मुख्य बातें (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक आंकड़े 2023-24	2024-25 संअ	2025-26 बअ	24-25 संअ से 25-26 बअ तक परिवर्तन का %
कुल व्यय	44,43,447	47,16,487	50,65,345	7.4%
कुल प्राप्तियां*	27,88,804	31,46,960	34,96,409	11.1%
राजस्व घाटा	7,65,216	6,10,098	5,23,846	-14.1%
जीडीपी का %	2.6%	1.9%	1.5%	
राजकोषीय घाटा	16,54,643	15,69,527	15,68,936	0.0%
जीडीपी का %	5.6%	4.8%	4.4%	

नोट: *उधार को छोड़कर। स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज 2025-26; पीआरएस।

केंद्रीय बजट 2025-26 के पीआरएस विश्लेषण के लिए यहां देखें।

कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी

जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी।[9,10] वेतन आयोग के सुझावों की अवधि 2026 में समाप्त होगी।

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी

अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।[11] यह 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गई है।[12] यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता

मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के लिए पेंशन को अनुक्रमित किया जाएगा। यह पुरानी पेंशन योजना के समान है जो 2003 या उससे पहले शामिल हुए कर्मचारियों पर लागू है। इसका लाभ उठाने के लिए, सेवानिवृत्त व्यक्ति के पास न्यूनतम योग्यता सेवा 25 वर्ष होनी चाहिए। कम सेवा अवधि के लिए पेंशन आनुपातिक रूप से कम होगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु से पहले उसकी पेंशन का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के साथ कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। वर्तमान और भावी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प होगा। यह विकल्प केवल एक बार ही चुना जा सकता है। यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के तहत वर्तमान सेवानिवृत्त लोगों पर भी लागू होंगे।[12]

एनपीएस के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी की सेवानिवृत्ति निधि में एक राशि का योगदान देते हैं। यूपीएस के तहत अतिरिक्त व्यय को वित्त पोषित करने के लिए केंद्र सरकार का अंशदान वेतन के 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया जाएगा, जबकि कर्मचारियों का अंशदान 10% पर बना रहेगा।[12] राज्य सरकारों के लिए भी इसी तरह की रूपरेखा तैयार की गई है।

फाइनांस

आयकर बिल लोकसभा में पेश किया गया

फरवरी 2025 में आयकर बिल, 2025 लोकसभा में पेश किया गया था।[13] यह आयकर एक्ट, 1961 का स्थान लेने का प्रयास करता है।[14] बिल में 1961 के एक्ट के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। व्यक्तियों और निगमों के लिए कर की दरें और व्यवस्थाएं अपरिवर्तित रहेंगी। अधिकांश परिभाषाएं भी बरकरार रखी गई हैं। अपराधों और दंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिल में 1 अप्रैल, 2026 को इसके लागू होने की तिथि प्रस्तावित की गई है। इसे लोकसभा की एक सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया है।

प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अघोषित आय:** एक्ट के तहत, तलाशी के मामलों का निर्धारण करने के लिए अघोषित आय की परिभाषा में धन, सर्राफा (बुलियन), आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं। बिल इस परिभाषा में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को शामिल करता है। इनमें ऐसा कोई भी कोड, संख्या या टोकन शामिल है जो क्रिप्टोग्राफ़िक तरीके से जनरेटेड है और एक्सचेंज की गई वैल्यू का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करता है। इस परिवर्तन को फाइनांस बिल, 2025 में भी प्रस्तावित किया गया है।
- **वर्चुअल डिजिटल स्पेस**: एक्ट आयकर अधिकारियों को इमारतों में प्रवेश करने और तलाशी लेने एवं ताले तोड़ने की अनुमति देता है। ऐसा तब किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति ने एक्ट के तहत समन जारी करने के बावजूद कुछ दस्तावेज या बही खाते प्रस्तुत नहीं किए हों। एक्ट अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने का भी अधिकार देता है। बिल इन प्रावधानों को बरकरार रखता है और अधिकारियों को तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच प्राप्त करने की भी अनुमति देता है। अधिकारियों के पास किसी भी आवश्यक एक्सेस कोड को ओवरराइड करके पहुंच प्राप्त करने की शक्ति होगी। बिल में वर्चुअल डिजिटल स्पेस को एक ऐसे वातावरण, क्षेत्र या परिमंडल के रूप में परिभाषित किया गया है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्मित और अनुभव किया जाता है। इसमें ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया एकाउंट, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग खाते और संपत्ति के स्वामित्व का विवरण स्टोर करने के लिए वेबसाइट्स शामिल हैं।
- **स्कीम बनाने की शक्ति**: एक्ट सूचना के फेसलेस कलेक्शन और कर मामलों के निर्धारण

का प्रावधान करता है। बिल में इन प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। बिल केंद्र सरकार को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए नई स्कीम्स बनाने का अधिकार भी देता है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के दिशानिर्देशों में संशोधन किए

मार्च 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण- लक्ष्य और वर्गीकरण) निर्देश, 2025 जारी किए।[15, 16] इन दिशानिर्देशों को सितंबर 2020 में जारी निर्देशों के स्थान पर लाया गया है।[17] निर्देशों का उद्देश्य उन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सहकारी बैंक:** 2020 के निर्देशों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य उनके समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40% निर्धारित किया गया था। इसे 2025-26 तक बढ़ाकर 75% किया जाना था। संशोधित निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि लक्ष्य 60% तय किया जाएगा।
- **अक्षय ऊर्जा:** 2020 के दिशानिर्देश अक्षय ऊर्जा के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में 30 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करने की अनुमति देते हैं। यह अक्षय ऊर्जा-आधारित बिजली उत्पादन और सार्वजनिक केंद्रों के लिए प्रदान किया जा सकता है। संशोधित निर्देशों में ऋण सीमा को बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- **कमजोर वर्ग:** कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों को भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कमजोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा एक लाख रुपए तक है, (ii) स्वयं सहायता समूह, (iii) व्यक्तिगत महिला लाभार्थी जिनकी प्रति उधारकर्ता एक लाख रुपए तक है। संशोधित निर्देशों में कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है। व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए प्रति उधारकर्ता कर दिया गया है (शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं)। इसमें ट्रांसजेंडर और संयुक्त देयता समूहों को भी कमज़ोर वर्गों की परिभाषा में शामिल किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी

जनवरी 2025 में वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी।[18] इस योजना के तहत, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड कुछ वित्तीय संस्थानों द्वारा एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों के 60% की गारंटी देती है। इनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं। उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए एमएसएमई को 100 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए गारंटी उपलब्ध है।

50 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए, पुनर्भुगतान अवधि आठ वर्ष तक होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर दो वर्ष तक की स्थगन अवधि होगी। 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों में लंबी पुनर्भुगतान अवधि और स्थगन अवधि हो सकती है। इस योजना में योजना दिशानिर्देशों की अधिसूचना से चार वर्ष तक या सात लाख करोड़ रुपए की संचयी गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, ऋण प्रदान किए जाते हैं।

आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण देने की सीमा बढ़ाई

दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिना किसी गारंटी के कृषि ऋण देने की सीमा को 1.6 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर दो लाख रुपए प्रति उधारकर्ता कर दिया।[19] इसमें कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण भी शामिल हैं। आरबीआई ने कहा कि यह संशोधन मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में वृद्धि को समायोजित

करने के लिए किया गया था। संशोधित सीमाएं 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगी।

संसद ने बैंकिंग कानूनों में संशोधन किया

मार्च 2025 में संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल, 2024 पारित किया।[20] बिल में निम्नलिखित में संशोधन किया गया है: (i) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एक्ट, 1934, (ii) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949, (iii) भारतीय स्टेट बैंक एक्ट, 1955, (iv) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) एक्ट, 1970, और (v) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) एक्ट, 1980।[21, 22, 23, 24, 25] प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नकद भंडार (कैश रिजर्व्स) के लिए पखवाड़े (फोर्टनाइट) की परिभाषा**: आरबीआई एक्ट के तहत, अनुसूचित बैंकों को नकदी भंडार के रूप में आरबीआई के साथ औसत दैनिक शेष का एक निश्चित स्तर बरकरार रखना होता है। यह औसत दैनिक शेष एक पखवाड़े के प्रत्येक दिन के कारोबार की समाप्ति पर बैंकों द्वारा रखे गए शेष के औसत पर आधारित होता है। एक पखवाड़े को शनिवार से अगले शुक्रवार तक (दोनों दिन सहित) की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल पखवाड़े की परिभाषा को इस अवधि में बदलता है: (i) प्रत्येक महीने के पहले दिन से पंद्रहवें दिन तक, या (ii) प्रत्येक महीने के सोलहवें दिन से अंतिम दिन तक।
- **नॉमिनेशन**: बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एकल या संयुक्त जमा धारकों को अपनी जमा राशि के लिए एक नॉमिनी नियुक्त करने की अनुमति देता है। बिल इन उद्देश्यों के लिए अधिकतम चार नॉमिनी की नियुक्ति की अनुमति देता है।
- **सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल**: बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसी बैंक के निदेशक (इसके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) को लगातार आठ वर्षों से अधिक समय तक पद पर बने रहने से निषिद्ध करता है। बिल में सहकारी बैंकों के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

आरबीआई ने ऐच्छिक और बड़े डिफॉल्टरों के प्रबंध पर निर्देश जारी किए

जुलाई 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई (जानबूझकर चूक करने वालों और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार) निर्देश, 2024 जारी किए।[26] ये निर्देश ऋणदाताओं द्वारा किसी उधारकर्ता को जानबूझ कर चूक करने वाले के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ऐच्छिक डिफॉल्टर:** ऐच्छिक या विलफुल डिफॉल्टर से तात्पर्य है: (i) ऐसा उधारकर्ता या गारंटर जिसने आरबीआई द्वारा अधिसूचित कम से कम 25 लाख रुपए या उससे अधिक का ऐच्छिक डिफॉल्ट किया है, (ii) अगर डिफॉल्टर कोई कंपनी है तो डिफॉल्ट के समय उससे जुड़े प्रमोटर और निदेशक, और (iii) कंपनियों के अलावा किसी अन्य इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और प्रभारी व्यक्ति। बड़े डिफॉल्टर से तात्पर्य ऐसे डिफॉल्टर से है जिस पर कम से कम एक करोड़ रुपए की बकाया राशि है और जिसके खाते को संदिग्ध या घाटे वाले खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- किसी उधारकर्ता द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने की स्थिति में उसे ऋणदाता को पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक करने पर ऋण न चुकाने की स्थिति में माना जाएगा। इसके अलावा, निर्दिष्ट शर्तों में से कम से कम एक को पूरा किया जाना चाहिए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) दायित्वों को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद चूक करना, (ii) ऋणदाता से प्राप्त धन का डायवर्जन या गबन करना, या (iii) ऋणदाता की जानकारी के बिना ऋण सुरक्षित करने के लिए दी गई परिसंपत्तियों का निपटान करना। गारंटर द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाना तब माना जाएगा जब वह ऐसा करने की क्षमता होने के बावजूद गारंटी को पूरा नहीं करता है।

इरडाई ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए मास्टर सर्कुलर जारी किया

मई 2024 में भारतीय बीमा और विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया।[27] यह मास्टर सर्कुलर पिछले 55 सर्कुलर्स पर प्रभावी होगा।[28] सर्कुलर का अनुपालन न करने वाले मौजूदा उत्पादों को 30 सितंबर, 2024 तक इसका अनुपालन करना था। मास्टर सर्कुलर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **बीमा उत्पादों के प्रकार:** बीमाकर्ताओं को ग्राहकों को अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए उत्पाद पेश करने चाहिए। उन्हें निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए: (i) सभी आयु वर्ग, (ii) सभी प्रकार की चिकित्सा स्थितियां, (iii) पहले से मौजूद और पुरानी चिकित्सा स्थितियां, (iv) चिकित्सा और उपचार की सभी प्रणालियां, और (v) सभी प्रकार के अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता।
- **दावा निपटान:** बीमाकर्ताओं को समयबद्ध तरीके से दावों का 100% नकद रहित निपटान करने का लक्ष्य रखना चाहिए। नकद रहित निपटान के अनुरोध पर एक घंटे के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के तीन घंटे के भीतर अंतिम स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। देरी के मामले में, किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान बीमाकर्ता को शेयरधारक के फंड से करना होगा।
- **ग्राहक सूचना पत्रक:** बीमाकर्ताओं को ग्राहकों को इरडाई द्वारा निर्धारित प्रारूप में ग्राहक सूचना पत्रक (सीआईएस) प्रदान करना चाहिए। सीआईएस में पॉलिसी की सभी विशेषताओं को सरल भाषा में समझाया जाएगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बीमा का प्रकार, (ii) बीमा राशि, (iii) एक्सक्लूज़ंस का सारांश, (iv) कटौती योग्य राशि, और (v) उप-सीमाएं।

आरबीआई ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए निर्देश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अप्रैल 2024 में आरबीआई (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां) निर्देश, 2024 जारी किए।[29] एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (एआरसी) वित्तीय संस्थानों (जैसे बैंक) से तनावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) परिसंपत्तियों को अपने अधीन लेती हैं और ऐसी परिसंपत्तियों से बकाया राशि वसूलने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। निर्देश एआरसी के पंजीकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रशासन जैसे मामलों के लिए प्रावधान करते हैं। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पंजीकरण:** एआरसी को आरबीआई से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। पंजीकृत एआरसी प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण दोनों काम कर सकते हैं। प्रतिभूतिकरण एआरसी द्वारा अन्य संस्थाओं से वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण है।[30] एआरसी के पास न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का शुद्ध स्वामित्व वाला फंड (एनओएफ) होना चाहिए। 11 अक्टूबर, 2022 तक 100 करोड़ रुपए के एनओएफ वाले मौजूदा एआरसी को 31 मार्च, 2026 तक इसे बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए करने की अनुमति दी गई है। इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 के तहत समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने वाले एआरसी के पास न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपए का एनओएफ होना चाहिए।
- **एसेट रिकंस्ट्रक्शन:** एआरसी को वित्तीय संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी चाहिए। यह नीति पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के 90 दिनों के भीतर बनानी चाहिए। नीति में निम्नलिखित निर्दिष्ट होना चाहिए: (i) अधिग्रहण के लिए मानदंड और प्रक्रिया, (ii) परिसंपत्तियों के प्रकार और वांछनीय प्रोफ़ाइल, और (iii) अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। एआरसी परिसंपत्तियों की प्राप्ति के लिए एक योजना बना सकती है जो निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकती है: (i) उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन में बदलाव, (ii) उधारकर्ता

द्वारा देय ऋणों का पुनर्निर्धारण, या (iii) किसी भी ऋण को इक्विटी में बदलना।

- **प्रतिभूतिकरण:** वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट, 2002, एआरसी को धन जुटाने के लिए प्रतिभूति रसीदें (एसआर) जारी करने की अनुमति देता है।[30] इसे वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बदले संस्थाओं को भी जारी किया जा सकता है। निर्देशों के अनुसार, एआरसी को अधिग्रहण के छह महीने के भीतर अपने एसआर की रेटिंग करवानी होगी। रेटिंग रिकवरी जोखिम पर आधारित होनी चाहिए, यानी, अधिग्रहित वित्तीय परिसंपत्ति से कितनी वसूली की जा सकती है।

आरबीआई ने हाउसिंग फाइनांस कंपनियों के लिए रेगुलेटरी ढांचे में संशोधन किया

अगस्त 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने हाउसिंग फाइनांस कंपनियों (एचएफसी) के लिए रेगुलेटरी ढांचे में संशोधन किया।[31] एचएफसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) होती हैं, जिनकी कुल संपत्ति का कम से कम 60% हिस्सा आवासीय वित्त पोषण के लिए होता है।[32] आरबीई ने पाया कि जमा स्वीकार करने वाली एचएफसी, जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी की तुलना में अधिक लचीले मापदंडों के अधीन हैं। चूंकि जमा स्वीकार करने से जुड़ी रेगुलेटरी समस्याएं सभी श्रेणियों की एनबीएफसी में समान हैं, इसलिए ऐसी एचएफसी को अब एनबीएफसी के अनुरूप रेगुलेट किया जाएगा।

आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंकों में बदलने के लिए सर्कुलर जारी किया

अप्रैल 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने छोटे वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए एक सर्कुलर जारी किया।[33] छोटे वित्त बैंक: (i) बचत की सुविधा प्रदान करते हैं और (ii) छोटी व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों और अन्य निम्न-आय समूहों को ऋण प्रदान करते हैं।[34] यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए, छोटे वित्त बैंकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कम से कम पांच वर्षों के लिए प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड, (ii) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर सूचीबद्ध, (iii) पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति, और (iv) पिछले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ। छोटे वित्त बैंकों के लिए एक चिन्हित प्रमोटर का होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी मौजूदा प्रमोटर को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन पर प्रमोटर के रूप में जारी रखना चाहिए। परिवर्तन के दौरान नए प्रमोटरों को जोड़ने या प्रमोटरों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले पात्र छोटे वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

आरबीआई ने पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

अगस्त 2024 में आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2017 को संशोधित किया।[35,36] पीयर टू पीयर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म एक मध्यस्थ है जो ऋण सुविधा सेवाएं प्रदान करता है। एनबीएफसी-पी2पी, पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म चलाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। आरबीआई ने पाया कि इनमें से कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसी कार्यपद्धतियों का उपयोग करते हैं जो 2017 के निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। इनमें निर्धारित फंड ट्रांसफर व्यवस्था का उल्लंघन करना और सुनिश्चित रिटर्न के साथ निवेश उत्पाद के रूप में पीयर टू पीयर लेंडिंग को बढ़ावा देना शामिल है। प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्रेडिट जोखिम:** 2017 के निर्देशों में प्रावधान है कि एनबीएफसी-पी2पी को कोई भी क्रेडिट वृद्धि या गारंटी प्रदान या व्यवस्थित नहीं करनी चाहिए। संशोधनों में यह भी कहा गया है कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर लेनदेन के लिए कोई क्रेडिट जोखिम नहीं उठाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर मूलधन या ब्याज की हानि उधारदाताओं द्वारा वहन की जानी चाहिए। उधारदाता होने के लिए पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

- **प्लेटफॉर्म द्वारा प्रकटीकरण:** एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म को अपनी वेबसाइट पर अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का खुलासा करना होगा। इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रदर्शन शामिल होना चाहिए। संशोधनों में यह भी कहा गया है कि प्रकटीकरण में मूलधन और ब्याज पर ऋणदाताओं द्वारा वहन किए गए सभी नुकसान शामिल होने चाहिए।
- **निवेश उत्पाद:** संशोधित निर्देश एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफार्मों को पी2पी उधार को निवेश उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने से रोकते हैं, जिसमें कार्यकाल से जुड़े सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
- **ऋण वितरण:** इससे पहले ऋण तब तक वितरित नहीं किया जा सकता था, जब तक कि ऋण प्राप्तकर्ता को ऋणदाता द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाए और सभी प्रतिभागियों ने ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर न किए हों। संशोधनों में कहा गया है कि ऋण के लिए ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं को एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार मिलान/मैप किया जाना चाहिए।

सेबी ने म्यूचुअल फंड और परिसंपत्ति प्रबंधन ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी:

- **नए म्यूचुअल फंड उत्पाद को मंजूरी:** सितंबर 2024 में सेबी ने मौजूदा म्यूचुअल फंड ढांचे के तहत एक नए निवेश उत्पाद की शुरुआत को मंजूरी दी।[37] यह पोर्टफोलियो निर्माण में अधिक लचीलापन प्रदान करके म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। इसमें एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों में प्रति निवेशक न्यूनतम निवेश सीमा 10 लाख रुपए होगी।
- **निष्क्रिय म्यूचुअल फंड के लिए रेगुलेटरी ढांचा:** सेबी ने सितंबर 2024 में निष्क्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड के लिए एक नए रेगुलेटरी ढांचे को भी मंजूरी दी।[37]निष्क्रिय फंड नियम-आधारित निवेश रणनीति का पालन करते हैं और परिसंपत्ति आवंटन के संबंध में बहुत कम स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह संरचना म्यूचुअल फंड के प्रायोजकों के लिए शुद्ध मूल्य, ट्रैक रिकॉर्ड, लाभप्रदता और प्रकटीकरण के संदर्भ में लचीले मानदंड प्रदान करती है।
- **एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) द्वारा बाजार दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र:** अप्रैल 2024 में सेबी ने एएमसी (जैसे म्यूचुअल फंड) को संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान करने और उसे रोकने के लिए संस्थागत तंत्र अपनाने का आदेश दिया।[38] इस तरह के दुरुपयोग में फ्रंट-रनिंग और प्रतिभूतियों में धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल हो सकते हैं। फ्रंट-रनिंग अन्य बाजार सहभागियों से पहले प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियों में व्यापार करने की पद्धति है। संस्थागत तंत्र में उन्नत निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और विभिन्न प्रकार के कदाचार की पहचान करने और उसे संबोधित करने की प्रक्रिया शामिल होगी। एएमसी को कदाचार की रिपोर्ट करने वाले व्हिसिलब्लोअर के लिए भी एक तंत्र प्रदान करना चाहिए।

सेबी ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लिस्टिंग ढांचे में संशोधन किया

दिसंबर 2024 में सेबी ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लिस्टिंग ढांचे में संशोधन को मंजूरी दी।[39] ऐसी संस्थाएं अब अपने शेयरों को तभी सूचीबद्ध कर सकती हैं, जब उनका परिचालन लाभ एक करोड़ रुपए हो। उन्हें अपना लिस्टिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करते समय पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से दो में लाभ सीमा को पूरा करना होगा। ऐसी स्थिति में लिस्टिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां प्रमोटर, प्रमोटर समूह या किसी संबंधित पक्ष से

ऋण के पुनर्भुगतान के लिए धनराशि जुटाई जा रही हो।

सेबी ने एफपीआई से संबंधित विभिन्न निर्णयों को मंज़ूरी दी

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के रेगुलेशन से संबंधित कई निर्णय लिए। प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **एफपीआई द्वारा खुलासे:** मार्च 2025 में सेबी ने एफपीआई के लिए कुछ खुलासे करने की सीमा बढ़ा दी।[40] इससे पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को कुछ खुलासे करने पड़ते थे, अगर वे: (i) किसी एक कॉरपोरेट समूह में अपनी भारतीय इक्विटी परिसंपत्तियों का 50% से अधिक रखते थे या (ii) भारतीय बाजारों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी परिसंपत्तियां रखते थे।[41] ये खुलासे उन सभी संस्थाओं से संबंधित हैं जो एफपीआई में कोई स्वामित्व, आर्थिक हित या नियंत्रण रखती हैं। सेबी ने पाया कि जब ये सीमाएं निर्धारित की गई थीं, तब से इक्विटी बाज़ार में ट्रेडिंग वॉल्यूम दोगुने से अधिक हो गया है। बोर्ड ने एफपीआई के लिए प्रकटीकरण सीमा को 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने को मंज़ूरी दी।
- **विश्वविद्यालय कोष द्वारा प्रकटीकरण:** जून 2024 में विश्वविद्यालय कोष और विश्वविद्यालय से संबंधित बंदोबस्ती जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हैं, उन्हें अतिरिक्त खुलासे करने से छूट दी गई है।[42] इस छूट का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए: (i) कोष में अपनी वैश्विक परिसंपत्तियों का 25% से कम भारतीय इक्विटी परिसंपत्तियों के रूप में होना चाहिए, (ii) इसकी वैश्विक परिसंपत्तियां 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए, और (iii) उसने अपने गृह क्षेत्राधिकार में उचित कर रिटर्न दाखिल किया होगा ताकि यह साबित हो सके कि यह कर से छूट प्राप्त एक गैर-लाभकारी संस्था है।
- **आईएफएससी आधारित एफपीआई में निवेश करने की सुविधा:** इससे पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) में किसी एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) या निवासी भारतीय द्वारा किया जाने वाला योगदान कुल कोष के 25% से अधिक नहीं हो सकता था।[43] ऐसे निवेशकों द्वारा कुल योगदान कोष के 50% तक सीमित था। अप्रैल 2024 में सेबी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) से बाहर स्थित एफपीआई में एनआरआई, ओसीआई और निवासी भारतीयों द्वारा योगदान को बढ़ाकर 100% करने के लिए एक रूपरेखा को मंज़ूरी दी।[38] आईएफएससी घरेलू क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं।

सीमापार इक्विटी स्वैप की अनुमति

अगस्त 2024 में वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियम, 2019 में संशोधन को अधिसूचित किया।[44,45,46] 2019 के नियम भारत में विदेशी निवेश के लिए रूपरेखा निर्दिष्ट करते हैं। 2024 के संशोधनों ने भारतीय निवासी और भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के बीच भारतीय कंपनियों के इक्विटी उपकरण और इक्विटी पूंजी की अदला-बदली की अनुमति दी। मंत्रालय के अनुसार, इससे विलय, अधिग्रहण और अन्य रणनीतिक पहलों के माध्यम से भारतीय कंपनियों के वैश्विक विस्तार में मदद मिलेगी।

सेबी ने थर्ड पार्टी के साथ रियल टाइम प्राइज डेटा साझा करने के लिए मानदंड जारी किए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मई 2024 में थर्ड पार्टी को रियल टाइम प्राइज डेटा साझा करने के मानदंडों के बारे में एक सर्कुलर जारी किया।[47] सेबी ने कहा कि कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल ट्रेडिंग सेवाएं या फैंटेसी गेम प्रदान करते हैं। इस तरह के खेल सूचीबद्ध कंपनियों के रियल टाइम शेयर कीमतों के मूवमेंट पर आधारित होते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म वर्चुअल स्टॉक पोर्टफोलियो के प्रदर्शन के आधार पर मौद्रिक प्रोत्साहन भी देते हैं। सर्कुलर के अनुसार, मार्केट

इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (जैसे स्टॉक एक्सचेंज) को थर्ड पार्टी के साथ रियल टाइम प्राइज डेटा साझा नहीं करना चाहिए। प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित कामकाज या रेगुलेटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर डेटा साझा किया जा सकता है। बाजार संस्थानों या बिचौलियों को उन संस्थाओं के साथ एक समझौता करना होगा जिनके साथ वे रियल टाइम प्राइज डेटा साझा करना चाहते हैं। इस तरह के समझौते में उन गतिविधियों को निर्दिष्ट करना चाहिए जिनके लिए डेटा साझा किया जा रहा है और प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित कामकाज के लिए इसकी आवश्यकता के औचित्य के साथ। निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए मार्केट प्राइज डेटा एक दिन के अंतराल के साथ साझा किया जा सकता है।

सेबी ने अपंजीकृत व्यक्तियों के साथ जुड़ने पर रोक लगाई

जून 2024 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेबी द्वारा रेगुलेटेड व्यक्तियों और उनके एजेंटों को प्रतिभूतियों पर सलाह/सिफारिश देने वाले किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ जुड़ने (एसोसिएशन) पर रोक लगाई है।[42] बोर्ड ने पाया कि कुछ व्यक्ति और अनियमित संस्थाएं अनुचित दावों के आधार पर निवेशकों को प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। एसोसिएशन का अर्थ है किसी भी मौद्रिक लेनदेन, क्लाइंट का रेफरल और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की परस्पर क्रिया। ये प्रतिबंध एसोसिएशन पर लागू नहीं होंगे: (i) ऐसे व्यक्तियों के साथ जो विशेष रूप से निवेशक शिक्षा में लगे हुए हैं, और (ii) निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो रिटर्न से संबंधित अनाधिकृत सलाह प्रदान नहीं करते हैं।

सेबी ने प्रतिभूतियों के सेम-डे सेटेलमेंट का दायरा बढ़ाया

सितंबर 2024 में सेबी ने प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक सेम-डे सेटेलमेंट साइकिल का दायरा बढ़ा दिया। सेम-डे सेटेलमेंट के लिए प्रतिभूतियों को चरणबद्ध तरीके से बाजार पूंजीकरण के आधार पर 25 से बढ़ाकर शीर्ष 500 कंपनियों तक किया जाएगा। सेम-डे सेटेलमेंट मौजूदा अगले दिन (टी+1) सेटेलमेंट के साथ मौजूद रहेगा।

कैबिनेट ने कम मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्सन टू मर्चेंट तक कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।[48] इस योजना को 2024-25 के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसका कुल अनुमानित व्यय 1,500 करोड़ रुपए है। यह 2,000 रुपए तक के भुगतान के लिए प्रति लेनदेन 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह प्रोत्साहन छोटे व्यापारियों को दिया जाता है।

वित्त मंत्रालय ने नाबालिगों के लिए पेंशन योजना शुरू की

सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय ने नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) वात्सल्य योजना की घोषणा की।[49] इसे पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा रेगुलेट और प्रशासित किया जाता है। 18 वर्ष की आयु तक के सभी नाबालिग नागरिक खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान करना होगा। इसके बाद खाते में 1,000 रुपए का न्यूनतम वार्षिक योगदान जमा किया जा सकता है। खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाएगा और वयस्क होने तक उनके अभिभावक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर एनपीएस वात्सल्य खाता, एनपीएस के तहत एक नियमित खाते में परिवर्तित हो जाएगा।

सेबी ने साइबर सुरक्षा और एआई के लिए रूपरेखा को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स के उपयोग के लिए रूपरेखा को मंजूरी दे दी है।

- **साइबर सुरक्षा:** जून 2024 में सेबी ने रेगुलेटेड संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर रेज़िलिएंस फ्रेमवर्क को मंजूरी दी।[42]यह रेगुलेटेड

संस्थाओं को उनके संचालन की अवधि, ग्राहकों की संख्या, व्यापार की मात्रा और प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। रूपरेखा डेटा को रेगुलेटरी डेटा और आईटी और साइबर सुरक्षा डेटा में वर्गीकृत करती है। रेगुलेटेड डेटा को अनिवार्य रूप से स्थानीयकृत करना होगा जबकि आईटी और साइबर सुरक्षा डेटा को भारत के बाहर स्टोर किया जा सकता है। सभी संस्थाओं को 1 अप्रैल, 2025 तक रूपरेखा को अपनाना था।

- **एआई टूल्स का इस्तेमाल:** दिसंबर 2024 में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसी रेगुलेटेड संस्थाओं द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के इस्तेमाल के लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया।[39] ये संस्थाएं निम्नलिखित के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगी: (i) निवेशकों के डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और अखंडता, (ii) एआई टूल्स से उत्पन्न आउटपुट, और (iii) लागू कानूनों का अनुपालन।

कॉरपोरेट मामले

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट के लिए दिशानिर्देश जारी

अक्टूबर 2024 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना- पायलट प्रोजेक्ट के लिए दिशानिर्देश जारी किए।[50] इस योजना की घोषणा 2024-25 के बजट में की गई थी और इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 2024-25 के लिए योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **कंपनियों के लिए मानदंड:** इंटर्नशिप की पेशकश के लिए पिछले तीन वर्षों में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) पर उनके औसत व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों का चयन किया गया था। अन्य कंपनियां मंत्रालय से मंजूरी लेकर इस योजना के तहत भाग ले सकती हैं।
- **अवधि:** इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने होनी चाहिए। इसका कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में बिताया जाना चाहिए।
- **इंटर्नशिप के लिए पात्रता:** 21 से 24 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इंटर्नशिप पाने के पात्र हैं। उन्हें पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। हालांकि ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। अन्य अयोग्य उम्मीदवारों में निम्न शामिल हैं: (i) आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों से स्नातक, (ii) पेशेवर योग्यता या मास्टर डिग्री वाले और (iii) वे जो 2023-24 में आठ लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों से संबंधित हैं।
- **प्रशिक्षुओं को लाभ:** प्रशिक्षुओं को 5,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। कंपनी अपने सीएसआर फंड से हर महीने 500 रुपए जारी करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार उम्मीदवार को शेष 4,500 रुपए का भुगतान करेगी। इंटर्नशिप लोकेशन में शामिल होने पर इंटर्न को केंद्र सरकार से 6,000 रुपए का एकमुश्त अनुदान भी मिलेगा।
- **सीएसआर फंड का उपयोग:** कंपनियां अपने सीएसआर फंड से प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का खर्च वहन करेंगी। इसके अलावा योजना के तहत किए गए सीएसआर व्यय का 5% तक कंपनी द्वारा प्रशासनिक लागत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वाणिज्य एवं उद्योग

बॉयलर्स एक्ट, 1923 का स्थान लेने वाला बिल पारित किया गया

मार्च 2025 में बॉयलर्स बिल, 2024 को संसद में पारित किया गया।[51] बिल को अगस्त 2024 में

पेश किया गया। उसने बॉयलर्स एक्ट, 1923 का स्थान लेगा। यह एक्ट सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए बॉयलर और बॉयलर घटकों के निर्माण, स्थापना, उपयोग और मरम्मत को रेगुलेट करता है। बिल में एक्ट के सभी प्रावधान बरकरार रखे गए हैं। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि बिल का उद्देश्य प्रावधानों की स्पष्टता बढ़ाना है।

बिल के पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।

संसद ने तेल क्षेत्र (रेगुलेशन और विकास) संशोधन बिल, 2024 पारित किया

मार्च 2025 में संसद ने तेल क्षेत्र (रेगुलेशन और विकास) संशोधन बिल, 2024 पारित किया।[52] इसे अगस्त 2024 में पेश किया गया। यह बिल तेल क्षेत्र (रेगुलेशन और विकास) एक्ट, 1948 में संशोधन करता है। यह एक्ट प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निकासी को रेगुलेट करता है। बिल ने खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को शामिल किया: (i) प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन, (ii) कोल बेड मीथेन और (iii) शेल गैस/तेल। उसने स्पष्ट किया कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए वित्तीय सीमा संशोधित की गई

मार्च 2025 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने एमएसएमई को वर्गीकृत करने के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में संशोधन किया।[53, 54] मंत्रालय ने श्रेणियों की सीमा बढ़ा दी है (तालिका 5)।

तालिका 5: एमएसएमई के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में संशोधन

आकार	मूल (करोड़ रुपए में)		संशोधित (करोड़ रु. में)	
	निवेश	कारोबार	निवेश	कारोबार
सूक्ष्म	1	5	2.5	10
लघु	10	50	25	100
मध्यम	50	250	125	500

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, 21 मार्च, 2025; पीआरएस।

संशोधित मानदंड 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।

कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी

मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,919 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी।[55] इस योजना का उद्देश्य मैन्यूफैक्चरिंग में वैश्विक और घरेलू, दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना है। यह योजना घटकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक नोड्स को मंजूरी दी

अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक नोड्स के विकास को मंजूरी दी।[56] कार्यक्रम के तहत देश भर में 11 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं।[57] नए स्वीकृत औद्योगिक नोड्स निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित होंगे: (i) खुरपिया, उत्तराखंड, (ii) राजपुरा-पटियाला, पंजाब, (iii) दिघी, महाराष्ट्र, (iv) पलक्कड़, केरल, (v) आगरा और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, (vi) गया, बिहार, (vii) जहीराबाद, तेलंगाना, (viii) ओर्वाकल और कोप्पर्थी, आंध्र प्रदेश, और (ix) जोधपुर-पाली, राजस्थान। इन्हें नए स्मार्ट औद्योगिक शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन नए औद्योगिक नोड्स में कुल अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रुपए है।

वाणिज्य मंत्रालय ने हीरे के शुल्क मुक्त आयात को अनुमति देने वाली योजना शुरू की

जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन स्कीम शुरू की।[58] यह योजना ¼ कैरेट से कम के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देती है। इस योजना का पात्र होने के लिए, लाभार्थियों को कम से कम: (i) पिछले तीन वर्षों में सालाना 15 मिलियन USD के कटे और पॉलिश किए गए हीरे और (ii) सालाना 25 मिलियन USD के सामान का निर्यात करना होगा।[59] उन्हें पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर और जीएसटी रिटर्न भी भरने होंगे।[60] शुल्क मुक्त आयात का लाभ उठाने के लिए व्यापारियों को निर्यात से पहले आयातित हीरों का कम से कम 10% मूल्य संवर्धन करना होगा।

इस योजना का उद्देश्य निर्माताओं को भारत में अपना परिचालन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य भारतीय हीरा निर्माताओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना भी है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू की जा रही है।

संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना अधिसूचित की गई

मार्च 2025 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इथेनॉल का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए सहकारी चीनी मिलों के लिए एक योजना अधिसूचित की।[61] इस योजना के तहत गन्ना आधारित फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।[62] मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्र इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने के अलावा मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे इनपुट का उपयोग करते हैं।62सहकारी चीनी मिलों को 6% प्रति वर्ष या ब्याज का 50%, जो भी कम हो, ब्याज में छूट दी जाएगी, जिसमें सबसिडी पांच वर्ष की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यह योजना केवल उन सहकारी चीनी मिलों को उपलब्ध कराई जाएगी जो पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए परिवर्तित संयंत्रों से कम से कम 75% इथेनॉल तेल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्ति करती हैं।

कैबिनेट ने हाई परफॉर्मेंस बायोफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नीति को मंजूरी दी

अगस्त 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'हाई परफॉर्मेंस बायोमैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायोई3 नीति' को मंजूरी दी।[63] बायोमैन्यूफैक्चरिंग उत्पादन के लिए जीवित जीवों की जैविक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। नीति का उद्देश्य बायोमैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर हरित विकास में तेजी लाना है। हाई परफॉर्मेंस बायोमैन्यूफैक्चरिंग को उन्नत बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने और खेती और खाद्य चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है।

नीति विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमिता के लिए नवाचार-संचालित समर्थन प्रदान करती है जैसे: (i) जलवायु अनुकूल कृषि, (ii) उच्च मूल्य वाले जैव-आधारित रसायन, (iii) समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान, तथा (iv) बायोपॉलिमर और एंजाइम। यह बायोमैन्यूफैक्चरिंग और बायो-एआई हब तथा बायोफाउंड्री की स्थापना में सहायता करेगी। बायोफाउंड्री एक प्रयोगशाला होती है जो बायोमैन्यूफैक्चरिंग में ऑटोमेशन का इस्तेमाल करती है।[64]

कैबिनेट ने अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वित्तपोषण को मंजूरी दी

अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की स्थापना को मंजूरी दी।[65] यह कोष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इनस्पेस) द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और उसकी देखरेख करने के लिए सरकार ने 2020 में इनस्पेस की स्थापना की थी। यह कोष 2025 से 2030 तक की पांच वर्ष की अवधि में स्थापित जाएगा, जिसमें सालाना 150-200 करोड़ रुपए की स्थापना होगी।

स्टार्टअप में निवेश की सांकेतिक सीमा 10-60 करोड़ रुपए के बीच है। विकास के चरण वाली कंपनियां 10-30 करोड़ रुपए के दायरे में निवेश की उम्मीद कर सकती हैं। विकास के अंतिम चरण वाली कंपनियां जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है, वे 30-60 करोड़ रुपए के दायरे में निवेश आकर्षित कर सकती हैं। इस कोष से अंतरिक्ष आधारित लगभग 40 स्टार्टअप कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस कोष के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आगे के निवेश के लिए विविध प्रभाव पैदा करने हेतु पूंजी का निवेश, (ii) भारत में स्थित अंतरिक्ष कंपनियों को बरकरार रखना, और (iii) भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी में तेजी लाना।

खान

सर्वोच्च न्यायालय ने खदानों और खनिजों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा

सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा।[66] भारत में खदानों और खनिजों को मुख्य रूप से खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) (एमएमडीआर) एक्ट, 1957 द्वारा रेगुलेट किया जाता है।[67]

न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या: (i) एमएमडीआर एक्ट के तहत खनन गतिविधियों पर एकत्रित रॉयल्टी कर योग्य है, (ii) भूमि और भवन पर कर लगाने का राज्यों का अधिकार खनिज युक्त भूमि तक विस्तारित है, और (iii) संसद राज्य विधानमंडल की खदानों और खनिजों पर कर लगाने की शक्तियों को सीमित कर सकती है। न्यायालय ने माना कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है। यह एक ऐसा भुगतान है जो खनिज अधिकारों का लाभ उठाने के लिए संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न होता है।

न्यायालय ने यह भी माना कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को संसद द्वारा इस क्षेत्र को रेगुलेट करने की शक्तियों से अधिक नहीं माना जा सकता। संविधान के तहत, खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्तियों को संसद के एक्ट द्वारा सीमित किया जा सकता है।[68] न्यायालय ने कहा कि एमएमडीआर एक्ट, 1957 राज्य की कर एकत्र करने की क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करता है।

न्यायालय ने यह भी माना कि भूमि पर कर लगाने का राज्यों का अधिकार खदानों तक फैला हुआ है। ऐसी भूमि पर खनिज मूल्य या उत्पादन के आधार पर कर लगाया जा सकता है। उसने यह भी कहा कि संसद खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती।

पर्यावरण मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण और उत्पादन कार्यों के संबंध में नियम अधिसूचित किए

मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2024 जारी किए।[69] अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) एक्ट, 2002 केंद्र सरकार को अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यों के दौरान पालन की जाने वाली शर्तों पर नियम बनाने का अधिकार देता है।[70] नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **योजनाओं की आवश्यकता:** समग्र लाइसेंस (अन्वेषण और उत्पादन लाइसेंस का संयोजन) के लिए चुने गए बोलीदाताओं को संबंधित परिचालन शुरू करने से पहले निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा: (i) अन्वेषण योजना और (ii) उत्पादन योजना। महानियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करेगा। अन्वेषण योजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: (i) लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में लाइसेंस क्षेत्र, (ii) अन्वेषण कार्यक्रम का विवरण, (iii) संभावित समयसीमा और (iv) प्रयुक्त जहाजों और मशीनों का विवरण। उत्पादन योजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: (i) उत्पादन के लिए नियोजित विशिष्ट क्षेत्र, (ii) उत्पादन कार्यक्रम का विवरण, (iii) संभावित पांच-वर्षीय

कार्यक्रम और (iv) खदान अपशिष्ट और उनके निपटान का अनुमान।

- **सुरक्षा उपाय:** सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नजदीकी खनन ब्लॉकों के बीच 15 सेकेंड (दूरी इकाई) के बफर जोन बनाए जाएंगे। समुद्र तट की कम ज्वार रेखा से एक समुद्री मील के भीतर कोई भी खनन कार्य या अपशिष्ट निपटान नहीं किया जाएगा। लाइसेंसधारियों को यह सुनिश्चित करना होगा: (i) मशीनरी की मजबूती, (ii) काम करने वाले व्यक्तियों की उचित योग्यता, (iii) पर्याप्त जनशक्ति, और (iv) जहाजों का उचित रखरखाव।
- **सुरक्षा और ऐहतियाती उपाय:** लाइसेंसधारियों को निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतते हुए खनन कार्य करना चाहिए: (i) समुद्र तल पर तलछट जमना, (ii) वायु प्रदूषण, और (iii) तट से दूर पाई जाने वाली ऐतिहासिक या पुरातात्विक वस्तुओं को नुकसान। लाइसेंसधारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपतटीय संचालन समुद्री पर्यावरण और वनस्पति एवं जीवों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए किया जाए।
- **दंड:** कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक का कारावास, 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इनमें निम्नलिखित अपराध शामिल हैं: (i) स्वीकृत योजनाओं के बिना अन्वेषण या उत्पादन शुरू करना, (ii) अन्वेषण या उत्पादन कार्यों के निरीक्षण का अनुपालन न करना, (iii) 15 सेकंड बैरियर क्षेत्र में खनन करना, (iv) प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन न करना, और (v) अनुपचारित अपशिष्ट को समुद्र में छोड़ना।
- **अपील:** लाइसेंसधारक अनुमोदन अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध केंद्र के समक्ष अपील कर सकते हैं। यह अपील आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर की जानी चाहिए। तीन महीने के बाद की गई अपील सशर्त स्वीकार की जा सकती है।

अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट और अपतटीय क्षेत्र खनिजों की नीलामी के लिए नियम अधिसूचित

मंत्रालय ने अगस्त 2024 में अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम, 2024 और अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 को अधिसूचित किया। इन्हें अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 2002 के तहत जारी किया गया है।[71, 72,73] नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान करते हैं: (i) अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की संरचना और कार्यप्रणाली, और (ii) अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के लिए उत्पादन और समग्र पट्टों की नीलामी। नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

- **पट्टों के लिए नीलामी और बोली लगाने के मापदंड:** उत्पादन और समग्र लाइसेंस नीलामी के माध्यम से दिए जाएंगे। समग्र लाइसेंस एक दो-चरणीय लाइसेंस है जो अन्वेषण और उत्पादन दोनों के लिए प्रावधान करता है। उत्पादन और समग्र लाइसेंस दोनों के लिए, पसंदीदा बोलीदाता को एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी देनी होगी। अगर समग्र लाइसेंस धारक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करने में विफल रहता है, तो वह उत्पादन करने के लिए पात्र नहीं होगा। उत्पादन पट्टे के पात्र समग्र लाइसेंस धारकों के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को संशोधित किया जाएगा।
- **अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट में योगदान की दर:** उत्पादन पट्टा धारकों को रॉयल्टी के 10% के बराबर राशि अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट फंड में योगदान के रूप में देनी होगी।

कृषि

कैबिनेट ने फसलों के समर्थन मूल्य को मंजूरी दी

जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्केटिंग सीज़न 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी।[74] खरीफ फसलें जून-अक्टूबर के बीच उगाई और काटी जाती

हैं। 2025-26 मार्केटिंग सीज़न सत्र (जुलाई से जून) के लिए रबी फसलों की एमएसपी अक्टूबर 2024 में स्वीकृत की गई थी।[75] एमएसपी से तात्पर्य उस सुनिश्चित मूल्य से है जिस पर केंद्र सरकार किसानों से फसल खरीदती है।[76]

खरीफ फसलों के लिए एमएसपी

तालिका 5: मार्केटिंग सीज़न 2024-25 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी (रुपए प्रति क्विंटल में)

फसलें	2023-24	2024-25	परिवर्तन
धान (सामान्य)	2,183	2,300	5%
ज्वार (संकर)	3,180	3,371	6%
बाजरा	2,500	2,625	5%
रागी	3,846	4,290	12%
मक्का	2,090	2,225	6%
तूर/अरहर	7,000	7,550	8%
मूंग	8,558	8,682	1%
उड़द	6,950	7,400	6%
मूंगफली	6,377	6,783	6%
सूरजमुखी के बीज	6,760	7,280	8%
सोयाबीन (पीली)	4,600	4,892	6%
तिल	8,635	9,267	7%
रामतिल	7,734	8,717	13%
कपास (मध्यम रेशा)	6,620	7,121	8%

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो; पीआरएस।

धान के लिए एमएसपी में 5% और तुअर जैसी दालों के लिए 8% की वृद्धि की गई। रामतिल (13%) और रागी (12%) जैसी फसलों की एमएसपी में 2023-24 के दौरान सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।

रबी फसलों के लिए एमएसपी

गेहूं के लिए एमएसपी में 6.6% की वृद्धि की गई। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि जौ (7%) में हुई।

तालिका 6: मार्केटिंग सीज़न 2025-26 के लिए रबी फसलों की एमएसपी (रुपए प्रति क्विंटल में)

फसलें	एमएसपी 2024-25	एमएसपी 2025-26	परिवर्तन
गेहूं	2,275	2,425	6.6%
जौ	1,850	1,980	7.0%
चना	5,440	5,650	3.9%
मसूर दाल	6,425	6,700	4.3%
रेपसीड और सरसों	5,650	5,950	5.3%
कुसुम	5,800	5,940	2.4%

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो; पीआरएस।

कैबिनेट ने कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी

सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी।[77] इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मूल्य समर्थन योजना, (ii) मूल्य स्थिरीकरण कोष, (iii) मूल्य घाटा भुगतान योजना, और (iv) बाजार हस्तक्षेप योजना। सरकार ने 2025-26 तक इन योजनाओं के लिए कुल परिव्यय 35,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है।

अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत, केंद्र ने 2024-25 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पादन का 25% खरीदने का फैसला किया है। केंद्र ने इन फसलों की खरीद के लिए सरकारी गारंटी भी बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए कर दी है।

राज्यों को अधिसूचित तिलहनों के लिए मूल्य घाटा भुगतान योजना लागू करने हेतु केंद्र ने समर्थन बढ़ाया है। उसने योजना के कवरेज को, राज्य उत्पादन के 25% से बढ़ाकर 40% किया है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्याज और टमाटर जैसी जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए समर्थन को उत्पादन के 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।

कैबिनेट ने उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सबसिडी दरों को मंजूरी दी

रबी मौसम

सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी मौसम 2024 (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025) के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों हेतु पोषक तत्व आधारित सबसिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी।[78] सबसिडी के लिए बजटीय आवश्यकता लगभग 24,476 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

खरीफ मौसम

मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 खरीफ मौसम (1 अप्रैल से 30 सितंबर) के लिए पीएंडके उर्वरकों हेतु एनबीएस दरों को मंजूरी दी।[79] स्वीकृत उर्वरक दरों पर सबसिडी प्रदान की जाती है। खरीफ मौसम 2025 के लिए एनबीएस सबसिडी पर खर्च 37,216 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

कैबिनेट ने उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत स्वच्छ पौध कार्यक्रम को मंजूरी दी।[80, 81] इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली और वायरस मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराना है। इससे फसल की पैदावार बढ़ने और आय के अवसरों में सुधार होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के तहत, पूरे भारत में नौ स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो विशिष्ट फलों की किस्मों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये केंद्र उन्नत नैदानिक और उपचारात्मक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। रोपण सामग्री के उत्पादन और बिक्री में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, बीज एक्ट, 1966 के तहत एक प्रमाणन प्रणाली स्थापित की जाएगी। स्वच्छ रोपण सामग्री के गुणन के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरियों को इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्ट स्वच्छ पौधों की किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में विविध जलवायु से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है। इस कार्यक्रम का अनुमानित परिव्यय 1,766 करोड़ रुपए है और इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी

नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी। 2025-26 तक इसका परिव्यय 2,481 करोड़ रुपए है।[82]

मिशन का उद्देश्य प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है जैसे कि रसायन मुक्त खेती, स्थानीय पशुधन विधियों का उपयोग करके खेती करना और विविध फसल प्रणाली। 2024-25 और 2025-26 में यह योजना ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में लागू की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ किसानों और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करना है।

वेयरहाउसिंग रसीद बेस्ड प्लेज फाइनिंसग के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को शुरू किया गया

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्लेज फाइनासिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है।[83] वेयरहाउसिंग विकास और रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त गोदामों में रखी गई वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) जारी की जाती है। किसान/व्यापारी वस्तुओं के बदले ऋण प्राप्त करने के लिए ई-एनडब्ल्यूआर का उपयोग कर सकते हैं।[84]

नई योजना ई-एनडब्ल्यूआर के तहत लिए गए ऋणों के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है। इसका कुल कोष 1,000 करोड़ रुपए का है और इसमें कृषि उद्देश्यों के लिए 75 लाख रुपए तक और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए दो करोड़ रुपए तक के ऋण शामिल होंगे। पात्र उधारकर्ताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) छोटे और सीमांत किसान, (ii) महिला/एससी/एसटी/दिव्यांग किसान, और (iii) किसान सहकारी समितियां। गारंटी कवर

ऋण राशि और उधारकर्ता के प्रकार के आधार पर 75% से 85% तक होता है।

कैबिनेट ने तिलहन उत्पादन के लिए मिशन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दी।[85] मिशन को 2024-25 से 2030-31 के बीच 10,103 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन के साथ लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन 2022-23 में 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 70 मिलियन टन करना है। इनमें रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल शामिल हैं। 2023-24 में घरेलू खाद्य तेल उत्पादन 12 मिलियन टन होने का अनुमान है।[86] एनएमईओ-ऑयल पाम के साथ इस मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25 मिलियन टन तक बढ़ाना है। घरेलू उत्पादन में इस वृद्धि से 2030-31 तक भारत की अनुमानित आवश्यकता का 72% कवर होने की उम्मीद है। बीज उत्पादन अवसंरचना में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

कैबिनेट ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत वित्तपोषण सुविधा के विस्तार को मंजूरी दी।[87] इस योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए परियोजनाओं के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की अनुमति दी जाएगी। एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक प्रसंस्करण परियोजनाओं को एआईएफ के तहत पात्र गतिविधियों की सूची में शामिल किया जाएगा। एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किसान उत्पाद संगठनों के एआईएफ क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार किया जाएगा। एआईएफ को 2020 में शुरू किया गया था और इस कोष के तहत कृषि उपज के लिए 500 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाई गई है।

कैबिनेट ने सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए योजनाओं को सुव्यवस्थित करने को मंजूरी दी

अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सभी मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को दो अंब्रेला योजनाओं में सुव्यवस्थित करने की मंजूरी दी: (i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई), और (i) कृषोन्नति योजना।[88]

सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए पीएम-आरकेवीवाई को 57,075 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। पीएम-आरकेवीवाई के तहत कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं: (i) मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, (ii) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, (iii) कृषि वानिकी, और (iv) कृषि मशीनीकरण। राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक घटक से दूसरे घटक में धन का पुनर्आबंटन करने की सुविधा होगी।

कृषोन्नति योजना का लक्ष्य 44,247 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना होगा।

पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी

अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी।[89] मुफ्त आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। चावल फोर्टिफिकेशन में नियमित चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध चावल के दाने मिलाना शामिल है। इसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।[90] इस मिशन का उद्देश्य खेती की टिकाऊ प्रणालियों को बढ़ावा देना और

मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका लक्ष्य 2026 तक 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू करना है। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र:** मिशन को निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा: (i) गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के गलियारे वाले क्षेत्र, (ii) प्रमुख नदियों के तट पर स्थित जिले, (iii) राज्यों में उच्च और निम्न उर्वरक इनपुट बिक्री वाले जिले, और (iv) जनजातीय क्षेत्र वाले जिले।
- **प्रशिक्षण:** मिशन का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए एक सहायक इकोसिस्टम तैयार करना है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल होगा। प्रशिक्षण निम्नलिखित माध्यमों से दिया जाएगा: (i) प्राकृतिक खेती केंद्र, (ii) कृषि विज्ञान केंद्र, (iii) राज्य कृषि विश्वविद्यालय और (iv) स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थान। इसके अलावा 2,060 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। मिशन प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए 30,000 कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन्स (या कृषि सखियों) को भी तैनात करेगा।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान वैज्ञानिकों और अधिकारियों की क्षमता विकास की दिशा में काम करेगा।

मीडिया एवं प्रसारण

ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए रेगुलेटरी ढांचे में संशोधन किया

जुलाई 2024 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रसारकों के लिए टैरिफ आदेश, इंटरकनेक्शन रेगुलेशन और सेवा की गुणवत्ता रेगुलेशन में संशोधन किया।[91, 92, 93] अगस्त 2023 में ट्राई ने प्रसारकों के लिए रेगुलेटरी ढांचे पर समीक्षा के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया था।[94]

संशोधित रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **टैरिफ में बदलाव:** ब्रॉडकास्टर सब्सक्राइबर से नेटवर्क कैपेसिटी फीस (एनसीएफ) लेते हैं, जिसकी सीमा पहले 200 चैनलों के लिए 130 रुपए और 200 से ज़्यादा चैनलों के लिए 160 रुपए थी। इस सीमा को हटा दिया गया है। नए एनसीएफ को ब्रॉडकास्टर की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) अब चैनलों के बुके पर 45% तक की छूट दे सकते हैं। डीपीओ विभिन्न ब्रॉडकास्टर से कंटेंट को बंडल और पैकेज करते हैं। इस तरह की छूट पहले 15% तक सीमित थी।
- **दंड:** संशोधित रेगुलेटरी ढांचे में प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान है। जुर्माना एक लाख रुपए तक हो सकता है, और यह उल्लंघन की प्रकृति और प्रसारक के आकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, चैनलों की एमआरपी की घोषणा न करने की स्थिति में पहले अपराध पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
- **कैरिएज फीस में बदलाव:** कैरिएज फीस की गणना करने की विधि को सरल बनाया गया है। उदाहरण के लिए, अब मानक और हाई-डेफिनिशन (एचडी) चैनलों के बीच कोई अंतर नहीं है। पहले एचडी चैनलों पर कैरिएज फीस अधिक लगती थी।
- **सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) संशोधन:** रेगुलेटरी ढांचा विभिन्न क्यूओएस मानकों में संशोधन करता है। इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन और रिलोकेशन जैसी सेवाओं के लिए शुल्कों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। डीपीओ को इन शुल्कों को सब्सक्राइबरों के लिए स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना चाहिए। डीपीओ द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड पर अलग से वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म सेवाएं डीपीओ द्वारा सब्सक्राइबरों को विशेष रूप से प्रेषित किए जाने वाले कार्यक्रम हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म सेवा

- के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 30,000 से कम सब्सक्राइबर वाले डीपीओ के लिए कुछ अनुपालनों में भी ढील दी गई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एक वेबसाइट होना, (ii) मैनुअल ऑफ प्रैक्टिस मेनटेन करना, और (iii) एक कंज्यूमर कॉर्नर।

इंफ्रास्ट्रक्चर

संचार एवं आईटी

दूरसंचार अवसंरचना और स्पेक्ट्रम साझा करने पर सुझाव जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अप्रैल 2024 में 'दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग' पर अपने सुझाव जारी किए।[95] दूरसंचार अवसंरचना को मोटे तौर पर निष्क्रिय और सक्रिय अवसंरचना में विभाजित किया गया है। निष्क्रिय अवसंरचना का तात्पर्य गैर-इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना (जैसे टावर, भवन और खंभे) से है, और सक्रिय अवसंरचना का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना (जैसे रेडियो और ट्रांसीवर) से है। स्पेक्ट्रम रेडियो आवृत्ति का एक बैंड है जिसका उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बुनियादी ढांचे को साझा करना:** ट्राई ने सुझाव दिया कि दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों को सभी प्रकार के निष्क्रिय और सक्रिय अवसंरचना को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। निष्क्रिय अवसंरचना को सभी प्रकार के लाइसेंसधारियों के साथ साझा किया जा सकता है, हालांकि सक्रिय अवसंरचना को केवल दी जाने वाली सेवाओं के दायरे के आधार पर साझा किया जा सकता है। वर्तमान में लाइसेंसधारी निष्क्रिय अवसंरचना और कुछ निर्दिष्ट सक्रिय अवसंरचना (जैसे एंटेना और ट्रांसमिशन सिस्टम) को साझा कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग (डॉट) कुछ उपकरणों को कोर नेटवर्क तत्वों के रूप में नामित करता है। अगर साझा करने के बाद दो से कम स्वतंत्र कोर नेटवर्क होंगे तो कोर नेटवर्क तत्वों को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  ट्राई ने सरकार द्वारा वित्तपोषित निष्क्रिय अवसंरचना को अनिवार्य रूप से साझा करने का सुझाव दिया है। इसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (अब डिजिटल भारत निधि) का उपयोग करके बनाई गई अवसंरचना शामिल है। अन्य प्रकार की अवसंरचना, जैसे कि इंटरसेप्शन सिस्टम, को दूरसंचार विभाग की अनुमति के बाद साझा किया जा सकता है।

- **स्पेक्ट्रम शेयरिंग और लीजिंग:** ट्राई ने सुझाव दिया है कि एक्सेस प्रोवाइडर्स को स्पेक्ट्रम शेयर करने और लीज पर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ प्रतिबंधों का भी सुझाव दिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्पेक्ट्रम शेयरिंग या लीजिंग से पहले दो वर्ष की लॉक-इन अवधि, और (ii) उन संस्थाओं की संख्या की सीमा, जिनके साथ स्पेक्ट्रम शेयर या लीज पर दिया जा सकता है (प्रति स्पेक्ट्रम बैंड एक अतिरिक्त प्रोवाइडर)। स्पेक्ट्रम शेयरिंग या लीजिंग से प्राप्त राजस्व को सरकार द्वारा विभिन्न शुल्कों के निर्धारण के लिए समग्र राजस्व का एक हिस्सा माना जाएगा। सरकार शेयर किए गए स्पेक्ट्रम के मूल्य का 0.5% शुल्क भी लगाएगी।

ट्राई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पर सुझाव जारी किए

अप्रैल 2024 में ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पर सुझाव जारी किए। उसने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के उपयोग के माध्यम से नवीन तकनीकों और व्यावसायिक मॉडलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तावित की।[96] रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक परीक्षण वातावरण को संदर्भित करता है जो वास्तविक परिदृश्यों की नकल करता है। सैंडबॉक्स में कंपनियों को कुछ अनुपालन और रेगुलेशंस से छूट दी जाती है। वे सीमित उपयोगकर्ताओं पर उत्पादों या सेवाओं का परीक्षण कर सकते हैं। ट्राई के प्रमुख सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **दायरा और पात्रता:** नई डिजिटल संचार सेवाओं या प्रौद्योगिकियों को लाइव या नियंत्रित परीक्षण की आवश्यकता होती है, उनका परीक्षण रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में किया जा सकता है। सैंडबॉक्स का उपयोग करने की अनुमति 12 महीने तक वैध होगी और इसे बढ़ाया जा सकता है। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए अपना नेटवर्क प्रदान करने के पात्र होंगे।
- **रेगुलेशन और निरीक्षण:** रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की निगरानी राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान में नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए गठित निकाय द्वारा की जाएगी। सैंडबॉक्स के उपयोग की अनुमति दूरसंचार विभाग द्वारा दी जाएगी।
- **परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण:** रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का उपयोग करने वाली परियोजनाओं को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (अब डिजिटल भारत निधि) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है। आवेदकों को अपने आवेदन में मांगे गए वित्तपोषण का उल्लेख करना होगा। हालांकि सरकारी वित्तपोषण की मांग न करने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने की अधिक संभावना होगी।

सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 में संशोधन अधिसूचित

जनवरी 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण में संशोधन को अधिसूचित किया।[97,98] नियम 2016 के आधार एक्ट के तहत तैयार किए गए हैं।[99] संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

- **वे उद्देश्य जिनके लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी जा सकती है**: नियमों के तहत, केंद्र सरकार इन उद्देश्यों के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है: (i) सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय को रोकना, (ii) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, और (iii) नवाचार और ज्ञान के प्रसार को सक्षम बनाना। संशोधनों में कहा गया है कि केंद्र सरकार 'निवासियों के जीवन को आसान बनाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने' के उद्देश्य से भी आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है।
- **अनुरोध करने वाली संस्थाएं**: नियमों में प्रावधान है कि केंद्र या राज्य सरकार का कोई विभाग/मंत्रालय आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को उनकी संस्तुति के लिए भेजेगी। इसके बाद केंद्र सरकार संस्था द्वारा आधार प्रमाणीकरण के उपयोग को अधिकृत करेगी।

संशोधन में यह भी कहा गया है कि कोई भी अन्य संस्था आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए और राज्य के हित में होना चाहिए।

बिजली

सीईआरसी ने अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए नए नियम अधिसूचित किए

जून 2024 में केंद्रीय बिजली रेगुलेटरी आयोग (सीईआरसी) ने सीईआरसी (ट्रांसमिशन लाइसेंस देने की प्रक्रिया, नियम और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) रेगुलेशन, 2024 को अधिसूचित किया।[100] ये रेगुलेशंस 2009 में इस विषय पर जारी किए गए रेगुलेशंस के स्थान पर लाए गए हैं।[101] 2024 के रेगुलेशन अंतर-राज्यीय बिजली ट्रांसमिशन के लिए लाइसेंस देने और प्रशासन हेतु एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। 2024 के रेगुलेशंस के तहत मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कुछ उद्देश्यों के लिए छूट:** वितरण लाइसेंसधारियों और थोक उपभोक्ताओं को अपने सिस्टम को अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइनों को

विकसित करने और संचालित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। थोक उपभोक्ताओं से तात्पर्य उन उपभोक्ताओं से है जो 33 kV या उससे अधिक वोल्टेज पर आपूर्ति का लाभ उठाते हैं।[100, 102] 2009 के रेगुलेशंस में इन संस्थाओं को ऐसी छूट नहीं दी गई थी।

- **मौजूदा लाइसेंस के तहत अतिरिक्त कार्यों के लिए स्वीकृति:** 2009 के रेगुलेशंस के तहत, लाइसेंस दिए जाने के बाद कुछ अतिरिक्त ट्रांसमिशन कार्य करने के लिए, नए लाइसेंस जारी किए जाते थे। 2024 के रेगुलेशंस में मौजूदा लाइसेंस के तहत ऐसे अतिरिक्त कार्यों को शामिल करने का प्रावधान है। लाइसेंसधारक इस उद्देश्य के लिए मौजूदा लाइसेंस में संशोधन करने के लिए सीईरआरसी में आवेदन कर सकते हैं।

कैबिनेट ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दी

जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग करने की योजना को मंजूरी दी है।[103] अपतटीय पवन ऊर्जा से तात्पर्य जलाशयों, आमतौर पर समुद्र में स्थापित पवन टर्बाइनों के माध्यम से बिजली उत्पादन से है। वायबिलिटी गैप फंडिंग से तात्पर्य उन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता से है जो आर्थिक रूप से उचित हो सकती हैं लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम है।[104]

इस योजना से गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500-500 मेगावाट सहित कुल एक गीगावाट क्षमता की स्थापना में सहायता मिलेगी। इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 3.7 बिलियन यूनिट बिजली पैदा होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं के लिए कुल सहायता 6,853 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी डेवलपर्स का चयन बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा निकटवर्ती बंदरगाहों के अपग्रेडेशन के लिए 600 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। बंदरगाहों के विकास से पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

'मॉडल सौर गांव' के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी

अगस्त 2024 में विद्युत मंत्रालय ने पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 'मॉडल सोलर विलेज' घटक को लागू करने के लिए योजना दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया।[105] इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। प्रत्येक मॉडल गांव को केंद्र से एक करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी।

आदर्श सौर गांव की पहचान प्रत्येक जिले के गांवों के बीच प्रतियोगिता के माध्यम से की जाएगी। केवल 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों में 2,000) से अधिक आबादी वाले राजस्व गांव ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। पात्र गांवों की पहचान जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी।

प्रतियोगिता के लिए सभी पात्र गांवों की घोषणा के बाद छह महीने के भीतर स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के आधार पर गांवों का मूल्यांकन किया जाएगा। आदर्श सौर गांव का चयन होने के बाद, राज्यों को इसे सौर ऊर्जा संचालित गांव में बदलने के लिए एक योजना विकसित करनी होगी।

बिजली के सीमा पार व्यापार संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन अधिसूचित

अगस्त 2024 में मंत्रालय ने सीमा पार बिजली व्यापार पर दिशानिर्देश अधिसूचित किए। विद्युत मंत्रालय ने सीमा पार बिजली व्यापार पर 2018 के दिशानिर्देशों में संशोधन किया।[106, 107] ये दिशानिर्देश भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच बिजली के आयात और निर्यात के लिए प्रावधान करते हैं। संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:[108]

- **कोयले और गैस से बिजली के निर्यात के लिए ईंधन का स्रोत**: 2018 के दिशानिर्देशों के तहत, भारतीय उत्पादन और वितरण कंपनियां कोयले, गैस, अक्षय स्रोतों या जलविद्युत से उत्पन्न बिजली को पड़ोसी देशों को निर्यात कर सकती हैं। कोयले और गैस के मामले में,

आयातित ईंधन का उपयोग करके बिजली उत्पन्न की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कोयले के मामले में, स्पॉट नीलामी या वाणिज्यिक खनन (निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के बिना) से प्राप्त कोयले का भी उपयोग किया जा सकता है। संशोधन केंद्र सरकार को कोयला और गैस-आधारित बिजली के निर्यात के लिए अतिरिक्त ईंधन स्रोतों की अनुमति देने का अधिकार देते हैं।

- **निर्यातोन्मुख संस्थाओं द्वारा घरेलू बिक्री:** संशोधन भारतीय उत्पादकों को, जो विशेष रूप से बिजली का निर्यात करते हैं, कुछ शर्तों के तहत अपने उत्पादन को घरेलू स्तर पर बेचने की अनुमति देते हैं। केंद्र सरकार निम्नलिखित मामलों में इसकी अनुमति दे सकती है: (i) पूर्ण या आंशिक क्षमता की निरंतर गैर-शेड्यूलिंग, या (ii) भुगतान में चूक के लिए उत्पादक द्वारा नोटिस जारी करना।

हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी

जुलाई 2024 में नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने "ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना (मोड 1 के तहत)- ट्रैंच-II" को लागू करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए।[109] यह योजना ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम (साइट) के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप का एक घटक है। यह कार्यक्रम भारत में इलेक्ट्रोलाइज़र और ग्रीन हाइड्रोजन की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र प्रदान करता है।

इस योजना का उद्देश्य ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अधिकतम करना और लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। योजना के पहले चरण के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 10 कंपनियों को 4,12,000 मीट्रिक टन क्षमता पहले ही आवंटित की जा चुकी है।[110] दिशानिर्देश प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। दिशानिर्देश की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:[111]

- **योजना की संरचना:** दूसरे चरण में 4,50,000 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है। इसे दो तरीकों से हासिल किया जाएगा- 40,000 मीट्रिक टन बायोमास आधारित मार्ग से उत्पादित किया जाएगा और 4,10,000 मीट्रिक टन प्रौद्योगिकी एगोनिस्टिक (इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके) मार्ग से उत्पादित किया जाएगा। उत्पादन क्षमता बोली के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- **उत्पादन के लिए प्रोत्साहन:** एगोनिस्टिक मार्गों के माध्यम से उत्पादन के लिए न्यूनतम बोली 10,000 मीट्रिक टन है जबकि अधिकतम बोली 90,000 मीट्रिक टन है। बायोमास मार्गों के माध्यम से उत्पादन के लिए बोली 500 मीट्रिक टन और 4,000 मीट्रिक टन के बीच होनी चाहिए। बोलीदाता दोनों मार्गों के लिए बोली लगा सकता है। पहले वर्ष के लिए अधिकतम प्रोत्साहन 50 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे वर्ष के लिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम और तीसरे वर्ष के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। तीन वर्षों की बोलियों का औसत निकाला जाएगा और सबसे कम प्रोत्साहन मांगने वाले बोलीदाता को उत्पादन क्षमता आवंटित की जाएगी।
- **बोली लगाने वाले की पात्रता:** बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाता की शुद्ध संपत्ति टेक्नोलॉजी एग्नॉस्टिक मार्ग के तहत उद्धृत उत्पादन क्षमता के प्रति हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। बायोमास आधारित मार्ग के लिए बोलीदाता की शुद्ध संपत्ति उद्धृत उत्पादन क्षमता के प्रति हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए।

पेट्रोलियम

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी-वन योजना में संशोधन को मंजूरी दी

अगस्त 2024 में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी-वन योजना में संशोधनों को मंज़ूरी दे दी है। यह योजना सेकेंड जनरेशन इथेनॉल जैसी उन्नत जैव-

ईंधन प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करती है। योजना में संशोधनों से इसका कार्यान्वयन पांच वर्ष (2028-29 तक) तक बढ़ गया है। कृषि और वानिकी अवशेषों, औद्योगिक अपशिष्ट और शैवाल जैसे फीडस्टॉक का उपयोग करने वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भी योजना का विस्तार किया गया है।

रेलवे

रेलवे (संशोधन) बिल, 2024 संसद में पारित

रेलवे (संशोधन) बिल, 2024 को संसद में मार्च 2025 में पारित किया गया। बिल रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 को निरस्त करता है और इसके प्रावधानों को रेलवे एक्ट, 1989 में शामिल करता है।[112,113]

बिल के पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।

नागरिक उड्डयन

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 संसद में पारित

भारतीय वायुयान बिल, 2024 को संसद में दिसंबर 2024 में पारित किया गया था।[114] बिल को 31 जुलाई, 2024 को पेश किया गया था। यह एक्ट विमान एक्ट, 1934 का स्थान लेता है। बिल में 1934 एक्ट के तहत रेगुलेटरी संरचना और अधिकांश प्रावधान बरकरार रखे गए हैं। प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्राधिकरण:** यह तीन वैधानिक प्राधिकरणों की स्थापना करता है, जो इस प्रकार हैं: (i) रेगुलेटरी काम करने और सुरक्षा की निगरानी करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), (ii) सुरक्षा की देखरेख करने के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), और (iii) विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। केंद्र सरकार इन प्राधिकरणों को निर्देश जारी कर सकती है और अगर आवश्यक हो तो जनहित में उनके आदेशों की समीक्षा भी कर सकती है।
- **विमान के डिजाइन का रेगुलेशन**: एक्ट विमानों से संबंधित कई गतिविधियों को रेगुलेट करता है जैसे मैन्यूफैक्चरिंग, स्वामित्व, उपयोग, संचालन और व्यापार। बिल इस प्रावधान को बरकरार रखता है और विमानों के डिजाइन को भी रेगुलेट करने का प्रयास करता है।
- **अपीलीय व्यवस्था**: एक्ट केंद्र सरकार को दंड के निर्णय के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देता है। अधिनिर्णय अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। बिल अपील का एक और स्तर जोड़ता है। प्रथम अपील अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष की जाएगी। डीजीसीए या बीसीएएस के आदेश के विरुद्ध केंद्र सरकार के समक्ष अपील की जा सकती है।
- **अपराध और दंड:** बिल में कई अपराधों और दंडों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित अपराधों के लिए दो वर्ष तक का कारावास, एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जाएंगे: (i) विमानों में हथियार और विस्फोटक जैसे कुछ प्रतिबंधित सामान ले जाने के नियमों का उल्लंघन करना, (ii) किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा पहुंचाने के तरीके से विमान उड़ाना, और (iii) डीजीसीए और बीसीएएस के निर्देशों का पालन न करना। हवाई अड्डों के पास जानवरों का वध और कचरा फेंकने को प्रतिबंधित करने वाले नियमों के उल्लंघन पर तीन वर्ष तक की कैद, एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ेंगे।

बिल के पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।

विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन अधिसूचित

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अगस्त 2024 में विमान (सुरक्षा) नियम, 2023 में संशोधनों को अधिसूचित किया।[115, 116] ये नियम हवाई अड्डों और विमानों की सुरक्षा के लिए रूपरेखा निर्दिष्ट करते हैं। प्रमुख संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **विमान में प्रवेश का सुरक्षित अधिकार:** एक्ट सुरक्षा को रेगुलेट करने के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की स्थापना करता है। 2023 के नियम बीसीएएस के महानिदेशक और हवाईअड्डा संचालक को यह अधिकार देते हैं कि वे: (i) किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डे में प्रवेश से मना करें, और (ii) किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डे से बाहर जाने के लिए कहें। वे हवाई अड्डे के प्रभारी मुख्य सुरक्षा अधिकारी को यह भी अधिकार देते हैं कि वे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के हित में विमान से उपद्रवी यात्रियों को हटाने में विमान पायलटों की सहायता करें।[117] संशोधन महानिदेशक को यह भी अधिकार देते हैं कि वे: (i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विमान में प्रवेश से मना करें, और (ii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विमान से बाहर जाने के लिए कहें। सुरक्षा के हित में यदि आवश्यक या उचित हो तो ऐसी कार्रवाई की जा सकती है।
- **झूठी सूचना प्रसारित करने पर प्रतिबंध:** संशोधन किसी व्यक्ति को झूठी सूचना प्रसारित करने से रोकते हैं, जो: (i) किसी विमान, हवाई अड्डे या नागरिक उड्डयन केंद्र की सुरक्षा को खतरे में डालती है, (ii) यात्रियों, चालक दल, ग्राउंड स्टाफ या आम जनता में घबराहट पैदा करती है, या (iii) नागरिक उड्डयन परिचालन को बाधित करती है।
- **दंड:** उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तियों के लिए एक लाख रुपए का सिविल जुर्माना तथा संगठनों के लिए 50 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण बिल, 2025 संसद में पारित किया गया

वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण बिल, 2025 को संसद में अप्रैल, 2025 में पारित किया गया।[118] यह बिल भारत में लागू होने वाले निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है: (i) मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हितों से संबंधित कन्वेंशन (2001 के केपटाउन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है), और (ii) विमान उपकरणों के विशिष्ट मामलों में मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हितों से संबंधित कन्वेंशन का प्रोटोकॉल। भारत ने 2008 में इन पर हस्ताक्षर किए थे।[119,120] कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और इंजन जैसे हाई-वैल्यू एसेट्स के अधिकार सुरक्षित करने में एकरूपता लाना है।

- **देनदारों के दायित्व**: देनदारों को बकाये का रिकॉर्ड डीजीसीए को जमा करना होगा। देनदार वह व्यक्ति होता है जिसने किसी एविएशन एसेट को लीज़ या सशर्त खरीद समझौते के तहत लिया है, या सुरक्षा समझौते के तहत एसेट को गिरवी रखा है।
- **चूक की स्थिति में उपाय**: देनदार की चूक की स्थिति में कन्वेंशन लेनदार को कुछ उपाय सुझाता है। एक उपाय यह है कि दो कैलेंडर महीनों के भीतर या पारस्परिक रूप से सहमत अवधि, जो भी पहले हो, के भीतर एसेट का कब्ज़ा वापस ले लिया जाए। बिल में कहा गया है कि कोई भी उपाय करने से पहले लेनदार को चूक की जानकारी डीजीसीए को देनी होगी।
- **सरकारी एजेंसियों द्वारा एसेट्स को डिटेन करना**: अगर किसी एसेट से संबंधित सेवाओं का बकाया भुगतान नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित को एसेट को डिटेन करने का अधिकार होगा: (i) केंद्र सरकार, (ii) भारत में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाली कोई अन्य इकाई, या (iii) एक अंतर-सरकारी संगठन, जिसका भारत एक सदस्य है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अगस्त 2024 में स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की।[121] इसका उद्देश्य

देश भर में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। यह पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा।

वर्तमान में वाहन स्क्रैपिंग को निम्नलिखित प्रोत्साहनों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है: (i) मोटर वाहन कर पर रियायतें, (ii) पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए शुल्क की छूट, और (iii) कई राज्यों में उपलब्ध नए वाहनों की खरीद पर देयताओं की छूट। स्क्रैपिंग केंद्र वाहन मालिकों को स्क्रैप मूल्य भी प्रदान करते हैं।

स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए वाहन निर्माताओं ने स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के बदले नए वाहनों पर छूट देने की पेशकश की है। छूट केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए दो वर्ष और यात्री वाहनों के लिए एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी।

शिपिंग

मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 लोकसभा में पेश किया गया

मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 को दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था।[122] यह मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 का स्थान लेगा जो शिपिंग क्षेत्र को रेगुलेट करता है।[123] बिल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **जहाजों का अनिवार्य पंजीकरण**: एक्ट के अंतर्गत, सभी समुद्री भारतीय जहाजों को पंजीकृत किया जाना चाहिए, केवल उन जहाजों को छोड़कर: (i) जो यंत्रचालित नहीं हैं, या (ii) जिनका वजन 15 टन से कम है और उनका उपयोग केवल भारतीय तटों पर नौवहन के लिए किया जाता है। एक्ट में वेसेल्स यानी जलयान की परिभाषा में कोई भी जहाज, नाव, पाल वाले जहाज या नैविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य जलयान शामिल हैं। इसके बजाय बिल में सभी जहाजों को पंजीकृत कराने का प्रावधान किया गया है, चाहे उसे किसी भी प्रकार चलाया जाता हो या उसका वजन कुछ भी हो। बिल जलयान की परिभाषा का विस्तार करता है, और उसमें मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, सबमर्सिबल्स यानी पनडुब्बियों और नॉन-डिसप्लेसमेंट क्राफ्ट्स जैसे प्रकारों को शामिल करता है।
- **भारतीय जलयानों का स्वामित्व**: एक्ट भारतीय जलयानों के स्वामित्व के मानदंड निर्दिष्ट करता है। एक्ट के तहत भारतीय जलयान का अर्थ ऐसे जलयान हैं, जिनका स्वामित्व पूर्ण रूप निम्नलिखित के पास है: (i) भारत के नागरिक, (ii) भारतीय कानूनों के तहत या उनके द्वारा स्थापित कंपनी या निकाय जिनका मुख्य व्यवसाय स्थान भारत में है, और (iii) पंजीकृत सहकारी समिति। बिल इस मानदंड में राहत देता है और निम्नलिखित को इसमें शामिल करता है: (i) वे जहाज जो आंशिक रूप से उपर्युक्त व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, और (ii) वे जहाज जो पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) के स्वामित्व में हैं। स्वामित्व की सीमा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। बिल में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ओसीआई के पूर्ण स्वामित्व वाले जहाजों के लिए भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा।
- **कुछ विदेशी जलयानों का पंजीकरण**: बिल में यह भी कहा गया है कि किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा चार्टर किया गया विदेशी जलयान भारतीय जलयान के रूप में पंजीकृत हो सकता है। यह प्रावधान तब लागू होगा, जब स्वामित्व को एक निर्दिष्ट अवधि के बाद चार्टरर को हस्तांतरित करने का इरादा हो।
- **नौवहन के रेगुलेशन के लिए अथॉरिटीज़**: एक्ट केंद्र सरकार को नौवहन महानिदेशक नियुक्त करने का अधिकार देता है। सरकार एक्ट के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों को महानिदेशक को सौंप सकती है। बिल इस प्रावधान को बरकरार रखता है। वह महानिदेशक का नाम बदलकर समुद्री प्रशासन का महानिदेशक करता है। एक्ट केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए निम्नलिखित बोर्ड्स का गठन करता है: (i) नौवहन से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड, और (ii) नाविकों

के कल्याण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड। बिल में इन प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

तटीय नौवहन बिल, 2024 पेश किया गया

कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 को लोकसभा में दिसंबर 2024 में पेश किया गया।[124] यह बिल भारतीय तटीय जल में व्यापार करने वाले जहाजों को रेगुलेट करता है। बिल के तहत कोस्टल वॉटर्स यानी तटीय जल का अर्थ, भारत का क्षेत्रीय जल और निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र है। क्षेत्रीय जल तट से 12 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील (लगभग 22 किलोमीटर) तक फैला हुआ है। निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र 200 समुद्री मील (लगभग 370 किलोमीटर) तक फैला है।

बिल मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के भाग XIV का स्थान लेने का प्रयास करता है जो तटीय नौवहन में लगे 150 टन से अधिक वजन वाले यांत्रिक रूप से चालित जहाजों (मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग इकाइयों सहित) को रेगुलेट करता है। बिल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **तटीय व्यापार के तहत आने वाली सेवाएं**: 1958 के एक्ट के तहत तटीय व्यापार का अर्थ है, भारत में एक स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान तक माल और यात्रियों की ढुलाई। बिल सेवाओं के प्रावधान को इसमें शामिल करने के लिए इसकी परिभाषा में विस्तार करता है। सेवाओं में मछली पकड़ने को छोड़कर एक्सप्लोरेशन, अनुसंधान और कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि शामिल है।
- **तटीय व्यापार और अन्य उद्देश्यों के लिए लाइसेंस**: एक्ट के तहत तटीय व्यापार करने वाले सभी जहाजों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिल में कहा गया है कि पूरी तरह से भारतीय व्यक्तियों के स्वामित्व वाले जहाजों को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
- **लाइसेंस को रद्द करना**: एक्ट महानिदेशक को यह अधिकार देता है कि वह लाइसेंस में संशोधन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। बिल में लाइसेंस के संशोधन, उसे निरस्त या रद्द करने के आधार दिए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) लाइसेंस की शर्तों या मौजूदा कानून का उल्लंघन, या (ii) महानिदेशक के निर्देशों का पालन न करना।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

लोकसभा ने लदान हुंडी बिल, 2024 पारित किया

लदान हुंडी बिल, 2024 को लोकसभा में मार्च 2025 में लोकसभा में पारित किया गया।[125] यह बिल भारतीय लदान हुंडी एक्ट, 1856 का स्थान लेने का प्रयास करता है।[126] एक्ट लदान हुंडी जारी करने के लिए एक कानूनी संरचना का प्रावधान करता है।

- **बरकरार रखे गए प्रावधान**: एक्ट के अनुसार, लदान हुंडी जहाज पर माल का अंतिम सबूत होता है। वह निम्नलिखित व्यक्तियों को माल के संबंध में मुकदमों और देनदारियों के सभी अधिकार प्रदान करता है: (i) लदान हुंडी के अनुसार, प्राप्तकर्ता, या (ii) कोई तीसरा पक्ष, जिसे प्राप्तकर्ता माल का स्वामित्व हस्तांतरित कर सकता है। बिल एक्ट के तहत सभी प्रावधानों को बरकरार रखता है।
- **निर्देश जारी करने की शक्ति**: बिल इसमें यह और जोड़ता है कि केंद्र सरकार बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

समुद्री माल परिवहन बिल, 2024 लोकसभा में पारित

समुद्री माल परिवहन बिल, 2024 को लोकसभा में 9 अगस्त, 2024 को पेश किया गया। बिल भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट, 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। यह एक्ट अगस्त

1924 के बिल्स ऑफ लेडिंग संबंधी कानून के कुछ नियमों के एकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (हेग नियम) और उसमें बाद के संशोधनों के अनुरूप है। बिल एक्ट के सभी प्रावधानों को बरकरार रखता है।

बिल केंद्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है: (i) बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करना, और (ii) बिल्स ऑफ लेडिंग (लदान हुंडी) पर लागू होने वाले नियमों को निर्दिष्ट करते हुए अनुसूची में संशोधन करना। बिल्स ऑफ लेडिंग यानी लदान हुंडी उस दस्तावेज को कहा जाता है, जो कोई मालवाहक (फ्रेट करियर) किसी माल भेजने वाले व्यक्ति या कंपनी (शिपर) को जारी करता है। इस दस्तावेज में वस्तुओं के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य का विवरण होता है। नियमों में मालवाहकों की जिम्मेदारियां, देनदारियां, अधिकार और छूट को स्पष्ट किया गया है।

भारतीय पत्तन बिल, 2025 लोकसभा में पेश

भारतीय पत्तन बिल, 2025 को मार्च, 2025 में लोकसभा में पेश किया गया।[127] यह भारतीय पत्तन एक्ट, 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है।[128] एक्ट में केंद्र और राज्य सरकारों की निम्नलिखित शक्तियों का उल्लेख किया गया है: (i) बंदरगाहों (पत्तन) की सीमाओं में बदलाव, (ii) बंदरगाहों की सुरक्षा और संरक्षण, और (iii) बंदरगाह-शुल्क, फीस और दूसरे प्रभार लगाना। बिल में एक्ट के कुछ प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। मुख्य बदलावों में निम्न शामिल हैं:

- **समुद्री राज्य विकास परिषद**: बिल में केंद्र सरकार से यह अपेक्षित है कि वह समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना करेगी। परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से निम्नलिखित के संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी: (i) बंदरगाहों द्वारा जमा किए जाने वाले डेटा या सूचना के साथ-साथ, उन्हें जमा करने, उनके अपडेशन, स्टोरेज और उन्हें परिषद को प्रस्तुत करने का तरीका, (ii) बंदरगाहों से संबंधित डेटा या सूचना का प्रसार, और (iii) बंदरगाह शुल्क की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। यह विधायी पर्याप्तता, बंदरगाहों की कार्यकुशलता एवं बंदरगाहों से कनेक्टिविटी से संबंधित मामलों पर सुझाव देगी।
- **राज्य समुद्री बोर्ड्स**: बिल की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी राज्य समुद्री बोर्ड्स को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों के समुद्री बोर्ड शामिल हैं। राज्य सरकारें नए कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर राज्य समुद्री बोर्ड स्थापित कर सकती हैं। राज्य समुद्री बोर्ड्स के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाइसेंसिंग का कार्य करना, (ii) बंदरगाह के सभी कार्यों को सुपरवाइज करना, (iii) बंदरगाह शुल्क तय करना और (iv) बंदरगाह की सीमाओं के भीतर नेविगेशन का रेगुलेशन करना।
- **विवाद निवारण समिति**: बिल में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे एक विवाद निवारण समिति का गठन करेंगी, जो राज्य के भीतर गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बंदरगाह के कन्सेशनेयर्स, बंदरगाहों का उपयोग करने वालों और बंदरगाहों पर सर्विस देने वालों के आपसी विवादों का निपटारा करेगी। विवाद संबंधी आवेदन के छह महीने के भीतर समिति को आदेश पारित करना होगा। समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी।
- **प्रदूषण नियंत्रण और प्रतिक्रिया**: बिल के तहत, सभी बंदरगाहों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और राज्य सरकार के परामर्श से पोर्ट वेस्ट रिसेप्शन और हैंडलिंग योजना तैयार करनी होगी। बंदरगाह छोड़ने से पहले, जहाज के मालिक को जहाज से निकलने वाले सभी कचरे को रिसेप्शन फेसिलिटी में पहुंचाना होगा। हर बंदरगाह को तटीय जल में प्रदूषण के खतरे से जुड़ी घटनाओं की सूचना केंद्र या राज्य सरकारों को देनी होगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

विकास

शिक्षा

यूजीसी ने पोस्टग्रैजुएट प्रोग्राम्स के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचा जारी किया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जून 2025 में 'पोस्टग्रैजुएट प्रोग्राम्स के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क' जारी किया।[129] इस फ्रेमवर्क में निम्नलिखित के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का प्रयास किया गया है: (i) ग्रैजुएट प्रोग्राम्स (यूजी) में पढ़ाए जाने वाले विषयों से अलग विषयों को पढ़ना, (ii) शिक्षण के विभिन्न तरीकों से पीजी शिक्षा प्राप्त करना, (iii) एक साथ अकादमिक या उद्योग से जुड़े काम करना और उसके लिए क्रेडिट प्राप्त करना, और (iv) पीजी डिप्लोमा के साथ एक वर्ष के बाद पीजी प्रोग्राम्स से एग्जिट करना। फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पीजी प्रोग्राम के लिए क्रेडिट की आवश्यकता और पात्रता**: फ्रेमवर्क ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के पीजी प्रोग्राम्स हेतु पात्रता के मानदंड निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, एक वर्षीय एमए, एमकॉम या एमएससी डिग्री का पात्र होने के लिए, उम्मीदवार के पास कम से कम 160 क्रेडिट के साथ ऑनर्स की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। हालांकि दो वर्षीय एमए, एमकॉम या एमएससी डिग्री के लिए उन्हें 120 क्रेडिट के साथ तीन वर्ष/छह सेमेस्टर की स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है।
- **पीजी में विषय बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी:** फ्रेमवर्क ग्रेजुएट विद्यार्थियों को निम्नलिखित की अनुमति देता है: (i) अगर वे प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो पोस्ट-ग्रेजुएशन में एक अलग विषय का अध्ययन करें, और (ii) पीजी प्रोग्राम के लिए आवेदन करें जो स्नातक अध्ययन में एक मेजर या माइनर था। फ्रेमवर्क के तहत, कुछ विद्यार्थी मास्टर इन इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इनमें वे विद्यार्थी शामिल हैं जिन्होंने: (i) चार वर्ष का यूजी प्रोग्राम, (ii) तीन वर्ष का यूजी और दो वर्ष का पीजी प्रोग्राम या (iii) स्टेम विषयों में पांच वर्ष का एकीकृत प्रोग्राम पूरा किया है।
- **मूल्यांकन:** फ्रेमवर्क में सुझाव दिया गया है कि मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए न कि योगात्मक (इसमें यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर-वार परीक्षाएं शामिल हैं)। यह सुझाव भी दिया गया है कि मूल्यांकन शिक्षण परिणामों से संबंधित होना चाहिए। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए शिक्षण परिणामों को रेखांकित करता है।[130] इसके लिए शिक्षण परिणामों को इस तरह के मानदंडों का उपयोग करके मापा जाना चाहिए: (i) क्षेत्र का ज्ञान, (ii) ज्ञान और कौशल को कैसे लागू किया जाता है, और (iii) रोजगार योग्यता।

कैबिनेट ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी

उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है।[131] यह योजना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन और अन्य खर्चों के लिए कोलेट्रल और गारंटर मुक्त ऋण प्रदान करेगी। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, बकाया राशि का 75% क्रेडिट गारंटी द्वारा कवर किया जाएगा। यह योजना निम्नलिखित के विद्यार्थियों पर लागू होगी: (i) प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष 100 संस्थान, (ii) 101-200 रैंक वाले राज्य सरकार के संस्थान, और (iii) सभी केंद्र सरकार के संस्थान। रैंकिंग राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) पर आधारित होगी। इस योजना में 860 संस्थानों के लगभग 22 लाख विद्यार्थियों के कवर होने की उम्मीद है।

इसके अलावा इस योजना के तहत आठ लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% की ब्याज छूट दी

जाएगी। लाभार्थियों को किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजना के तहत कवर नहीं होना चाहिए। हर साल एक लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट दी जाएगी।

केंद्रीय सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को रोकने के लिए आरटीई नियमों में संशोधन किया गया

दिसंबर 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया।[132] ये बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार एक्ट, 2009 के तहत जारी नियमों में संशोधन करते हैं।[133,134] यह एक्ट छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी देता है।

एक्ट के अनुसार स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा पांचवीं और आठवीं के लिए नियमित परीक्षा आयोजित करनी होगी।[133]इस परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थी दो महीने के भीतर फिर से परीक्षा दे सकते हैं।

2024 के नियमों के अनुसार, यदि विद्यार्थी पुनर्परीक्षा में असफल होते हैं, तो उन्हें कक्षा पांच या आठ में रोक दिया जाएगा।[132] जिस अवधि में उन्हें रोका जाता है, उस दौरान स्कूलों को शिक्षण अंतरालों की पहचान करके और आवश्यक संसाधन प्रदान करके विद्यार्थी और उसके माता-पिता का मार्गदर्शन करना चाहिए। स्कूल प्रमुख उन विद्यार्थियों की सूची रखेगा जिन्हें रोका गया है और उनकी प्रगति की निगरानी करेगा। वार्षिक परीक्षाओं और पुनर्परीक्षाओं में योग्यता का परीक्षण किया जाना चाहिए, न कि स्मरण या प्रक्रियात्मक कौशल का।[132]

उच्च शिक्षा संस्थानों में फैकेल्टी और कुलपति की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट नियम जारी

जनवरी 2025 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) रेगुलेशन, 2025" का ड्राफ्ट जारी किया।[135] ये उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में फैकेल्टी और कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड प्रदान करते हैं। ड्राफ्ट इस विषय पर 2018 के रेगुलेशंस को बदलने का प्रयास करता है।[136] ड्राफ्ट रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **कुलपति की नियुक्ति:** कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख होता है।[137] मौजूदा नियमों के अनुसार, कुलपति की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जानी चाहिए जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो: (i) प्रोफेसर के रूप में, या (ii) किसी प्रतिष्ठित शोध या अकादमिक प्रशासनिक संगठन के वरिष्ठ पद पर। ड्राफ्ट रेगुलेशंस में यह भी कहा गया है कि कुलपति की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से भी की जा सकती है जिनके पास उद्योग, या सार्वजनिक नीति या प्रशासन में वरिष्ठ स्तर पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, और जिनके पास अकादमिक या विद्वत्तापूर्ण योगदान का सिद्ध रिकॉर्ड हो।
- मौजूदा नियमों के तहत, कुलपति की नियुक्ति तीन से पांच सदस्यों वाली सर्च कमिटी द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से की जाएगी। विश्वविद्यालय के विजिटर या कुलाधिपति यह नियुक्ति करेंगे। सर्च कमिटी का उस विश्वविद्यालय से किसी भी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। समिति का एक सदस्य यूजीसी चेयरमैन द्वारा नामित होना चाहिए। ड्राफ्ट रेगुलेशंस में प्रावधान है कि यह समिति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा गठित की जाएगी। इसमें प्रत्येक में से एक नामित व्यक्ति शामिल होगा: (i) विजिटर/कुलपति, (ii) यूजीसी चेयरमैन, और (iii) विश्वविद्यालय का शीर्ष निकाय। कुछ राज्यों में किसी राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति उस राज्य का राज्यपाल होता है।[138] भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति की नियुक्ति करते हैं।[139]
- **सहायक प्रोफेसरों की भर्ती:** 2018 के नियमों के तहत, उच्च शिक्षा संस्थानों में सीधे भर्ती किए जाने वाले सहायक प्रोफेसरों के पास: (i)

मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) पास होना चाहिए, या (ii) पीएचडी होनी चाहिए। ड्राफ्ट केवल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री वाले व्यक्तियों को सहायक प्रोफेसर के रूप में सीधे भर्ती करने की अनुमति देता है।

- **अनुबंध के आधार पर भर्ती:** मौजूदा नियम अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देते हैं। हालांकि अनुबंधित शिक्षकों की संख्या किसी उच्च शिक्षा संस्थान में कुल शिक्षकों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्ट नियम इस सीमा को हटाते हैं। वे प्रावधान करते हैं कि ऐसे शिक्षकों की अनुबंध अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने पीजी मेडिकल प्रवेश में निवास-आधारित आरक्षण को खारिज कर दिया

जनवरी 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में निवास-आधारित आरक्षण समानता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन करता है।[140] वर्तमान में, पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों की सीटें (i) नीट रैंकिंग, (ii) राज्य कोटा और (iii) संस्थागत वरीयताओं के आधार पर भरी जाती हैं।

न्यायालय ने माना कि संविधान भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने का अधिकार प्रदान करता है। निवास के आधार पर विद्यार्थियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार इस अधिकार को बाधित करता है। हालांकि एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में अधिवास आरक्षण की अनुमति है क्योंकि वे उपेक्षित क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरी ओर पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम विशेषज्ञों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और इसलिए विद्यार्थियों को अंकों और योग्यता के आधार पर दाखिला देना चाहिए।

न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य कोटे के तहत सभी पीजी मेडिकल सीटें विद्यार्थियों के नीट में प्रदर्शन के आधार पर भरी जानी चाहिए। हालांकि, यह वर्तमान में राज्य कोटे के तहत भरी गई सीटों पर लागू नहीं होगा। न्यायालय ने संस्थागत वरीयता के माध्यम से भरी गई सीटों की वैधता को बरकरार रखा। ये सीटें उसी कॉलेज के यूजी विद्यार्थियों को दी जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी सीटों का हिस्सा उचित होना चाहिए।

कक्षा 10 के लिए वर्ष में दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए ड्राफ्ट नीति जारी

फरवरी 2025 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) ने "2026 से 10वीं कक्षा के लिए दो परीक्षाओं की ड्राफ्ट योजना" जारी की।[141] ड्राफ्ट नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप जारी की गई, जिसमें विद्यार्थियों को एक वर्ष में दो बोर्ड परीक्षा की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है।[142] इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को दूसरे प्रयास में अपने स्कोर में सुधार करने का विकल्प प्रदान करके परीक्षा संबंधी दबाव को कम करना है।

ड्राफ्ट के अनुसार, कक्षा 10 के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी: (i) 17 फरवरी से 6 मार्च और (ii) 5 से 20 मई के बीच। दूसरी परीक्षा के परिणाम आने के बाद सभी विद्यार्थियों के परिणाम जारी किए जाएंगे।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल, 2025 लोकसभा से पारित

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल, 2025 मार्च 2025 में लोकसभा में पारित किया गया था।[143] बिल में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद, गुजरात (आईआरएमए) को "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। वर्तमान में आईआरएमए एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। बिल में आईआरएमए को विश्वविद्यालय के भीतर एक स्कूल के रूप में रखा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय के संस्थागत ढांचे के भीतर इसकी स्वायत्त पहचान को संरक्षित किया जाएगा।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

कौशल विकास

कैबिनेट ने कौशल भारत कार्यक्रम को जारी रखने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को जारी रखने को मंजूरी दे दी है।[144] इस कार्यक्रम में तीन योजनाएं शामिल हैं: (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो अल्पकालिक और नौकरी में प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास प्रदान करती है, (ii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जो किसी प्रतिष्ठान से जुड़े प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण और पारिश्रमिक देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और (iii) जन शिक्षण संस्थान योजना, जिसका उद्देश्य वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुलभ बनाना है।

कौशल भारत कार्यक्रम 2026 तक क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका परिव्यय 2022-23 और 2025-26 के बीच 8,800 करोड़ रुपए होगा।

युवा मामले एवं खेल

खेल मंत्रालय ने खेल प्रशासन पर ड्राफ्ट बिल जारी किया

अक्टूबर 2024 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल, 2024 का ड्राफ्ट जारी किया।[145] ड्राफ्ट बिल निम्नलिखित की मान्यता और रेगुलेशन के लिए एक रेगुलेटरी संरचना बनाता है: (i) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी), (ii) राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (एनपीसी) और (iii) राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ)। ड्राफ्ट बिल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **रेगुलेटर:** ड्राफ्ट बिल में भारतीय खेल रेगुलेटरी बोर्ड के गठन का प्रावधान है। बोर्ड विभिन्न प्रकार के खेलों की एनओसी, एनपीसी और एनएसएफ को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसे इन निकायों की मान्यता प्रदान करने, नवीनीकृत करने या निलंबित करने का अधिकार होगा। बोर्ड एथलीटों और सहायक कर्मियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करेगा।
- **निलंबन:** एनओसी, एनपीसी और एनएसएफ की मान्यता इस शर्त पर है कि वे (i) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या पैरालंपिक समिति (एनओसी और एनपीसी के लिए) या (ii) संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ (एनएसएफ के लिए) से संबद्ध हों। संबद्धता बनाए रखने में विफलता निलंबन का कारण बन सकती है। निलंबन के अन्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आंतरिक कामकाज में अनियमितताओं की रिपोर्ट, (ii) खातों को प्रकाशित करने में विफलता, और (iii) चुनाव प्रक्रियाओं में अनियमितताएं। यदि निलंबन का कारण सुधार योग्य है, तो बोर्ड इसके बजाय अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।
- **शासन:** ड्राफ्ट बिल एनओसी, एनपीसी और प्रत्येक एनएसएफ के प्रशासनिक ढांचे में कुछ विशिष्टताएं प्रदान करता है। इन निकायों में से प्रत्येक में एक जनरल बॉडी और एग्जीक्यूटिव कमिटी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो एक शासी निकाय है, एथलीट आयोग द्वारा चुनी जाएगी। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव जैसे पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें एथलीट भी शामिल होंगे। लगातार दो से अधिक कार्यकाल तक सेवा देने के बाद, पदाधिकारी कम से कम चार वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे।
- प्रत्येक निकाय में कम से कम 10% जनरल बॉडी और मतदान करने वाले सदस्य उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी (एसओएम) होंगे। ये सेवानिवृत्त एथलीट होंगे जिन्होंने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों में कम से कम एक पदक जीता है।
- **ट्रिब्यूनल:** ड्राफ्ट बिल में अपीलीय खेल ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात कही गई है। केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल की संरचना, सदस्यों के चयन के तरीके और उन मामलों को अधिसूचित करेगी जिन पर ट्रिब्यूनल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। ट्रिब्यूनल का चयन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के सुझावों पर किया जाएगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कैबिनेट ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी

अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी।[146] यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित तीन मौजूदा योजनाओं को एक करती है। ये योजनाएं विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास तथा व्यक्तियों और संस्थानों के क्षमता निर्माण से संबंधित हैं।

यह योजना: (i) अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना का समर्थन करेगी, (ii) अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी और (iii) देश में पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करेगी। यह विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और स्कूल, उद्योग और स्टार्टअप में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए पहल भी करेगी। इस योजना का कुल परिव्यय पांच वर्षों में 10,580 करोड़ रुपए है।

स्वास्थ्य

कैबिनेट ने आयुष्मान भारत का विस्तार कर सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया

सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के विस्तार को मंजूरी दे दी। अब इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों शामिल होंगे।[147] यह योजना पैनल में शामिल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है।[148] वर्तमान में इस योजना में 11 करोड़ परिवार (लगभग 50 करोड़ व्यक्ति) शामिल होने के पात्र हैं।[149] योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य बीमा के रूप में अतिरिक्त पांच लाख रुपए का कवर दिया जाएगा।

योजना के विस्तार से 4.5 करोड़ परिवारों (छह करोड़ वरिष्ठ नागरिक) को बीमा कवरेज मिलेगा। इसमें वे वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होंगे जो पहले से ही अन्य सार्वजनिक और निजी बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

चिकित्सा उपकरणों में मार्केटिंग पद्धतियों के लिए समान संहिता जारी की गई

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने सितंबर 2024 में चिकित्सा उपकरणों में मार्केटिंग पद्धतियों के लिए समान संहिता, 2024 जारी की।[150] यह संहिता देश में चिकित्सा उपकरणों की ब्रांडिंग और प्रचार को रेगुलेट करती है।

संहिता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **दावे**: चिकित्सा उपकरण कंपनियों द्वारा चिकित्सा उपकरणों की उपयोगिता के बारे में किए गए दावे नवीनतम साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। निषिद्ध दावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) संबंधित कंपनियों की पूर्व सहमति के बिना अन्य ब्रांड नामों का उपयोग करना, (ii) किसी क्वालिफिकेशन के बिना चिकित्सा उपकरणों को सुरक्षित कहना, और (iii) यह दावा करना कि इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं।
- **प्रचार**: किसी भी प्रचार सामग्री में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए: (i) चिकित्सा उपकरण का जेनेरिक/ब्रांड नाम, (ii) निर्माता/आयातकर्ता का नाम/पता और मार्केटियर का व्यावसायिक नाम/पता, (iii) उपयोग के लिए चेतावनियां और सावधानियां, और (iv) एक कथन जिसमें कहा गया हो कि अनुरोध करने पर अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है।
- केवल 1,000 रुपए से कम मूल्य के ब्रांड रिमाइंडर (जैसे किताबें, डायरी, डमी मॉडल) ही वितरित किए जा सकते हैं। नि:शुल्क मूल्यांकन नमूने किसी को भी वितरित नहीं किए जाने चाहिए, सिवाय उस व्यक्ति के जो इसे निर्धारित करने के लिए योग्य है या किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनकी ओर से इसे प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। प्रदर्शन उत्पाद (ऐसे उत्पाद जो किसी चिकित्सा उपकरण के कार्यों

को समझाने में मदद करते हैं) को प्रदर्शन अवधि समाप्त होने के बाद कंपनियों द्वारा वापस ले लिया जाना चाहिए।

- **आचार समिति**: सभी भारतीय चिकित्सा उपकरण संघों में चिकित्सा उपकरण संबंधी मार्केटिंग पद्धतियों के लिए एक आचार समिति स्थापित की जानी चाहिए। यह संहिता के अनुपालन से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगी। समिति को शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर आदेश पारित करना चाहिए। संहिता का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित दंड दिए जाएंगे: (i) संघ से निष्कासन, (ii) मीडिया में सुधारात्मक बयान जारी करना, या (iii) मौद्रिक वसूली। समिति के निर्णय के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर शीर्ष समिति के समक्ष अपील की जा सकती है। शीर्ष समिति की अध्यक्षता फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी के रोगियों के लिए पोषण सहायता का दायरा बढ़ाया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में निक्षय पोषण योजना के विस्तार की घोषणा की।[151] इस योजना का उद्देश्य टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए टीबी रोगियों को पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

प्रत्येक टीबी रोगी के लिए वित्तीय सहायता 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इस योजना के तहत कम वजन वाले टीबी रोगियों को इलाज के पहले दो महीने ऊर्जा-युक्त न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट भी दिए जाएंगे। टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों को भी पोषण संबंधी सहायता मिलेगी जिसका उद्देश्य उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना होगा।

इस योजना का विस्तार कुल 1,040 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसे केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

पर्यावरण

सार्वजनिक देयता बीमा (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित

दिसंबर 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सार्वजनिक देयता बीमा (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।[152] ये सार्वजनिक देयता बीमा एक्ट, 1991 के तहत जारी सार्वजनिक देयता नियम, 1991 में संशोधन करते हैं।[153,154] यह एक्ट खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवज़ा देने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है। संशोधन नियमों के तहत प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बीमाकर्ताओं की देयता की सीमा में वृद्धि:** एक्ट के तहत, खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग करने वाले उपक्रम के मालिक को दुर्घटना की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए अपनी देयता के लिए बीमा लेना चाहिए। 1991 के नियमों के तहत, दुर्घटना की स्थिति में बीमाकर्ता की अधिकतम देयता पांच करोड़ रुपए थी। 2024 के नियमों में इसे बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक वर्ष या पॉलिसी की अवधि के भीतर एक से अधिक दुर्घटना होने की स्थिति में, जो भी कम हो, 1991 के नियमों के तहत बीमाकर्ता की अधिकतम देयता 15 करोड़ रुपए थी। 2024 के नियमों में इसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- **उपक्रम मालिक द्वारा दी जाने वाली प्रतिपूर्ति:** 2024 के नियम निर्दिष्ट मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को उपक्रम मालिक द्वारा दी जाने वाली राहत राशि निर्दिष्ट करते हैं। जैसे मृत्यु की स्थिति में प्रति व्यक्ति पांच लाख रुपए की राहत प्रदान की जानी चाहिए। निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए, राहत में वास्तविक नुकसान शामिल होना चाहिए, और यह अधिकतम 50 लाख रुपए तक हो सकता है।
- **पर्यावरण राहत कोष से धन का आवंटन**: जन विश्वास एक्ट, 2023 ने 1991 के एक्ट में संशोधन करके कुछ मामलों में नुकसान की

भरपाई के लिए पर्यावरण राहत कोष के उपयोग की अनुमति दी। यह तब लागू होता है जब खतरनाक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों जैसे मैन्यूफैक्चरिंग और परिवहन से पर्यावरण को नुकसान होता है। 2023 का एक्ट केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स को इस संबंध में केंद्र सरकार को आवेदन करने का अधिकार देता है। नियम इन प्रावधानों को प्रभावी बनाते हैं। नियम यह प्रावधान करते हैं कि इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर केंद्र सरकार नुकसान की सीमा की जांच करेगी और यह तय करेगी कि कितनी राशि आवंटित की जानी चाहिए। नियम यह भी कहते हैं कि आवंटन कोष में उपलब्ध राशि के 10% से अधिक नहीं होगा।

- **राहत के अधिकार का प्रचार:** संशोधन नियमों के अनुसार, किसी दुर्घटना की स्थिति में औद्योगिक इकाइयों को प्रभावित व्यक्तियों को यह बताना चाहिए कि राहत का दावा करना उनका अधिकार है।

एंड-ऑफ लाइफ वाहनों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए नियम अधिसूचित

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (एंड-ऑफ लाइफ वाहन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।[155] ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 के तहत जारी किए गए हैं और 1 अप्रैल, 2025 से लागू हुए हैं।[156] एंड-ऑफ लाइफ वाहन वे होते हैं जो अब पंजीकृत नहीं हैं या जिन्हें अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है।[157] ये नियम वाहनों के उत्पादकों, वाहन मालिकों, थोक उपभोक्ताओं और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर लागू होंगे। इसमें कृषि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर सभी वाहन शामिल होंगे। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उत्पादकों की जिम्मेदारी**: उत्पादकों को निर्धारित स्क्रैपिंग लक्ष्यों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है। ईपीआर के तहत, उत्पादक एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जिम्मेदार होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ईपीआर प्रमाणपत्र जारी करेगा। 2025-26 से शुरू होकर, 2005-2006 में गैर-परिवहन वाहनों में इस्तेमाल किए गए कम से कम 8% स्टील को पर्यावरण अनुकूल तरीके से स्क्रैप किया जाना चाहिए। परिवहन वाहनों के लिए, स्क्रैपिंग लक्ष्य 2010-11 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का कम से कम 8% है।
- **उत्पादकों, थोक उपयोगकर्ताओं और स्क्रैपिंग केंद्रों की जिम्मेदारियां**: पंजीकृत मालिक या थोक उपभोक्ता को एंड-ऑफ लाइफ वाहनों को उनके अपंजीकृत या अयोग्य घोषित किए जाने के 180 दिनों के भीतर जमा करना होगा। ऐसे वाहनों को निर्माता के निर्दिष्ट बिक्री आउटलेट, संग्रह केंद्र या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में जमा करना होगा। थोक उपभोक्ता वे हैं जिनके पास 100 से अधिक वाहन हैं।
- **पर्यावरण क्षतिपूर्ति**: उत्पादकों, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों और थोक उपभोक्ताओं को पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। सीपीसीबी उत्पादकों के दायित्वों के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित करेगा जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों और थोक उपभोक्ताओं के लिए ऐसा ही करेंगे।

ग्रामीण विकास

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में 2024-25 और 2028-29 के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।[158] इस चरण के तहत 62,500 किलोमीटर की बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ेगी। इसमें ऐसी बस्तियां शामिल होंगी जिनकी आबादी (i) मैदानी इलाकों में

500 से अधिक, (ii) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 250 से अधिक और (ii) वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में 100 से अधिक है। पीएमजीएसवाई-IV को पांच वर्षों के लिए कुल 70,125 करोड़ रुपए का परिव्यय प्राप्त होगा, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच 70:30 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

आवास एवं शहरी मामले

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 को मंजूरी दी।[159] इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह पांच वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। यह सहायता मकान निर्माण, खरीद या किराए पर लेने के लिए उपलब्ध होगी। कुल अनुमानित व्यय 2.3 लाख करोड़ रुपए है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **पात्रता:** यह सहायता उन परिवारों को उपलब्ध होगी जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है और जिनकी वार्षिक आय नौ लाख रुपए तक है।
- **निर्माण के लिए सहायता:** तीन लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को अपनी खाली जमीन पर मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि अधिकार दिए जा सकते हैं।
- **खरीद के लिए ब्याज सबसिडी**: 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% की ब्याज सबसिडी दी जाएगी। यह सबसिडी अधिकतम 1.8 लाख रुपए होगी, जो पांच वार्षिक किस्तों में देय होगी।
- **किफायती आवास इकाइयों की खरीद:** राज्य, शहर, सार्वजनिक या निजी भागीदारी (एएचपी) के माध्यम से निर्मित किफायती मकानों की खरीद के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तीन लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार पात्र होंगे। नवीन निर्माण विधियों का उपयोग करने वाली एएचपी परियोजनाओं के लिए 30 वर्ग मीटर प्रति इकाई तक 1,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर (वर्ग मीटर) का अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- **किफायती किराये के आवास:** किफायती किराये के आवास (एआरएच) उपलब्ध कराने के लिए, दो मॉडल लागू किए जाएंगे: (i) मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली मकानों को एआरएच इकाइयों में परिवर्तित करना, और (ii) एआरएच इकाइयों का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना। एआरएच इकाइयों की नवीन निर्माण तकनीक के लिए 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रदान किए जाएंगे।
- **आवास ऋण के लिए गारंटी:** क्रेडिट जोखिम गारंटी ट्रस्ट फंड के कॉर्पस फंड को 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस फंड के तहत बैंकों/आवास वित्त कंपनियों/प्राथमिक ऋण संस्थानों से किफायती आवास ऋण पर क्रेडिट जोखिम गारंटी का लाभ प्रदान किया जाता है।
- **योजना का वित्तपोषण:** यह योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, सिवाय ब्याज सबसिडी घटक के, जिसका पूर्ण वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

कैबिनेट ने पांच वर्षों के लिए पीएमएवाई-ग्रामीण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को 2024-25 और 2028-29 के बीच जारी रखने की मंज़ूरी दी थी।[160] इस योजना के तहत सरकार अप्रैल 2024 से मार्च 2029 के बीच दो करोड़ अतिरिक्त पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगी। मैदानी इलाकों में हर मकान के लिए सहायता राशि 1.20 लाख रुपए और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए पर अपरिवर्तित रहेगी।

इस योजना को पांच वर्ष के लिए 3,06,137 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपए का राज्य हिस्सा शामिल है। पीएमएवाई-जी को 2016 में मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन अपडेटेड आवास+ सूची से किया जाएगा और इसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के शेष पात्र परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने एसईसीसी 2011 के तहत पहले छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी, 2018 और मार्च, 2019 के बीच आवास+ सर्वेक्षण किया था।

जनजातीय मामले

कैबिनेट ने आदिवासी विकास योजना को मंजूरी दी

सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी।[161] इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे: (i) सामाजिक अवसंरचना, (ii) स्वास्थ्य, (iii) शिक्षा, और (iv) आजीविका की कमी को दूर करके आदिवासी समुदायों का उत्थान करना है। इसमें 25 पहल शामिल हैं जिन्हें संबंधित क्षेत्रों को प्रशासित करने वाले मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 63,000 गांव शामिल हैं और इसका लक्ष्य लगभग पांच करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाना है। इस कार्यक्रम पर 79,156 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, जिसे पांच वर्षों में खर्च किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **कार्यक्रम के लक्ष्य**: लक्ष्यों को अन्य विभागों और उनकी योजनाओं के समन्वय से प्राप्त किया जाना है। ये लक्ष्य इस प्रकार हैं: (i) सक्षम अवसंरचना का निर्माण, (ii) कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, और (iii) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना।
- **लक्ष्य**: विभिन्न मौजूदा योजनाओं के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) प्रधानमंत्री आवास योजना, (ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, (iii) जल जीवन मिशन, (iv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (v) पोषण अभियान। इनमें से कुछ लक्ष्य इस प्रकार हैं: (i) 20 लाख मकान बनाना, (ii) 25,000 किलोमीटर सड़क, (iii) हर पात्र गांव में पानी की आपूर्ति, (iv) 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाना, (v) 2,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना।
- **योजनाएं**: कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 1000 आदिवासी होम स्टे, (ii) 22 लाख वन अधिकार धारकों के लिए स्थायी आजीविका, (iii) आदिवासी और सरकारी आवासीय विद्यालयों में अवसंरचना में सुधार, (iv) सिकल सेल रोग का किफायती प्रबंधन, और (v) आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 100 बहुउद्देशीय मार्केटिंग केंद्र।

कानून और सुरक्षा

गृह मंत्रालय

संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) बिल, 2024 पारित किया

आपदा प्रबंधन (संशोधन) बिल, 2024 को मार्च 2025 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया।[162] इसे अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। बिल ने आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में संशोधन किया है।[163] एक्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करता है। ये प्राधिकरण क्रमशः राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।

- **एनडीएमए और एसडीएमए के कार्य**: बिल में प्रावधान किया गया है कि एनडीएमए और एसडीएमए अपने-अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे। बिल में इन प्राधिकरणों के लिए कुछ कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है: (i) मौसम की चरम घटनाओं से उभरते संकट सहित आपदा जोखिमों का समय-समय पर जायज़ा लेना, (ii) स्वयं से निचले प्राधिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, (iii) राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों का सुझाव देना, और (iv) क्रमश: राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदाओं के लिए डेटाबेस तैयार करना। एनडीएमए राज्यों की आपदा तैयारियों का आकलन करेगा, और आपदा के बाद तैयारियों और प्रतिक्रिया का ऑडिट भी करेगा।
- **आपदा प्रतिक्रिया के लिए राज्यों को अधिकार:** बिल राज्य सरकार को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। शहरी प्राधिकरण अपने अधीनस्थ क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और उसे लागू करेगा। एक्ट आपदाओं की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करता है। बिल राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार देता है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

लोकसभा में आप्रवास एवं विदेशी विषयक बिल, 2025 पारित

मार्च 2025 में आप्रवास और विदेशी विषयक बिल, 2025 को लोकसभा में पेश और पारित किया गया।[164] बिल का उद्देश्य भारत में विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और ठहरने को रेगुलेट करना है। यह बिल निम्नलिखित कानूनों को निरस्त करता है: (i) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट, 1920, (ii) विदेशियों का पंजीकरण एक्ट, 1939, (iii) विदेशी विषयक एक्ट, 1946 और (iv) आप्रवास (वाहक दायित्व) एक्ट, 2000। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आप्रवास**: 1920 का एक्ट केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट रखने के नियम बना सकती है। बिल में प्रावधान है कि भारत में प्रवेश करने या यहां से जाने वाले व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ वैध वीज़ा (विदेशियों के लिए) भी होना चाहिए। बिल में आप्रवास ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान है जोकि आप्रवास संबंधी और अन्य निर्धारित कार्य करेगा। आप्रवास संबंधी कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वीज़ा जारी करना और भारत में प्रवेश का रेगुलेशन, या (ii) भारत से गुजरना, यहां ठहरना और आवागमन तथा भारत से बाहर निकलना।
- **विदेशियों का पंजीकरण**: 1939 का एक्ट केंद्र सरकार को विदेशियों के लिए ऐसे नियम बनाने का अधिकार देता है ताकि वे अपनी उपस्थिति की सूचना निर्धारित अथॉरिटी को दे सकें। बिल में प्रावधान है कि भारत आने पर विदेशियों को पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा।

- **निर्धारित जानकारी प्रदान करने के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं का दायित्व**: 1946 के एक्ट के अनुसार विदेशियों को आवास प्रदान करने वाले होटल संचालकों को जानकारी देनी होती है। बिल में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों को विदेशियों को प्रवेश देने के बारे में पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित जानकारी देनी होगी। इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों को इनडोर उपचार प्राप्त करने वाले विदेशी रोगियों या आवास सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उनके अटेंडेंट्स के बारे में पंजीकरण अधिकारी को जानकारी देनी होगी।
- **वाहक:** बिल 2000 एक्ट में संशोधन करता है, ताकि आप्रवास अधिकारी से मंजूरी प्राप्त होने तक किसी भी ट्रांसपोर्टर को भारत से प्रस्थान करने से रोका जा सके।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फोरेंसिक अवसंरचना को बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी

जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,254 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दी।[165] इसे 2024-25 से 2028-29 के बीच लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत: (i) देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के परिसर स्थापित किए जाएंगे, (ii) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी और (iii) एनएफएसयू के दिल्ली परिसर की मौजूदा अवसंरचना को बढ़ाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देश में प्रशिक्षित फोरेंसिक कर्मचारियों की कमी को दूर करना और 90% से अधिक की दोषसिद्धि दर हासिल करने में मदद करना है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र ने समिति गठित की

अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया।[166] यह समिति बांग्लादेश में समकक्ष अधिकारियों से संवाद करेगी और बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। विदेश मंत्रालय ने देश में बड़े पैमाने पर अशांति के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों पर कई हमलों को उजागर किया था।[167]

- समिति के अध्यक्ष सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। अन्य सदस्यों में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल के महानिरीक्षक और भारतीय भूमि एवं बंदरगाह प्राधिकरण के सचिव शामिल हैं।

कानून एवं न्याय

एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन बिल पेश

दिसंबर 2024 में संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) बिल, 2024 लोकसभा में पेश किया गया।[168] यह बिल चुनाव आयोग को लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक ही समय में चुनाव कराने का अधिकार देता है (जिसे एक साथ चुनाव कहा जाता है)।

- **एक साथ चुनाव की शुरुआत**: राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अधिसूचना की तारीख के बाद गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए लोकसभा और उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
- **लोकसभा या राज्य विधानसभाएं समय से पहले भंग**: अगर लोकसभा या राज्य विधानसभा अपने पांच वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो शेष कार्यकाल के बराबर की अवधि के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे। इससे हर पांच वर्ष में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे।
- **राज्य के चुनाव टालना**: अगर चुनाव आयोग की राय है कि किसी विशेष राज्य विधानसभा

के चुनाव, एक साथ चुनाव के अंग के तौर पर नहीं कराए जा सकते, तो वह इस संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। सिफारिश के मद्देनजर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य विधानसभा के चुनाव बाद की किसी तारीख पर कराने का आदेश जारी किया जा सकता है। जहां किसी राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ चुनाव के बाद टाल दिया जाता है, तो वहां उस विधानसभा की पूर्ण अवधि उसी दिन समाप्त होगी, जिस दिन आम चुनाव में गठित लोकसभा की पूर्ण अवधि समाप्त होगी।

बिल को 39 सांसदों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति (अध्यक्ष: श्री पीपी चौधरी) को भेजा गया।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए बिल पेश किया गया

केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2024 दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था।[169] यह विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने का प्रयास करता है और निम्नलिखित एक्ट्स में संशोधन करता है: (i) केंद्र शासित प्रदेश सरकार एक्ट, 1963, (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली एक्ट, 1991, और (iii) जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019। ये कानून पुद्दूचेरी, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं) की विधानसभाओं की संरचना और कामकाज का प्रावधान करते हैं। यह बिल संविधान (129वां) संशोधन बिल, 2024 के समान है।

इस बिल को संविधान (129वां) संशोधन बिल, 2024 के साथ संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने वाला बिल लोकसभा में पेश

अगस्त 2024 में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल, 2024 लोकसभा में पेश किया गया।[170] बिल में 2001 की जनगणना के आधार पर गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

मुंबई उच्च न्यायालय ने फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने संबंधी आईटी नियमों को खारिज किया

सितंबर 2024 में मुंबई उच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरीज़ के दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया।[171,172] नियमों के अनुसार डिजिटल इंटरमीडियरीज़ (जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट) को यूजर्स को जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने से रोकने के लिए ड्यू डेलिजेंस (सम्यक उद्यम) करना होगा। संशोधन में इस प्रावधान को विस्तृत करके, उसमें केंद्र सरकार के कामकाज से संबंधित ऐसी किसी भी जानकारी को शामिल किया गया है जिसे सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट (एफसीयू) गलत या भ्रामक के रूप में चिन्हित करती है। इस जानकारी को भी प्रचारित करने से प्रतिबंधित किया गया है।[173] न्यायालय ने कहा कि संशोधित नियम संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इस अधिकार पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध उचित होना चाहिए और संविधान के तहत दिए गए प्रतिबंधों के अनुरूप होना चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि एफसीयू की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाएगी, इसलिए केंद्र इस बात का अंतिम निर्णायक बन जाएगा कि क्या झूठा या भ्रामक है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि 'झूठा या भ्रामक' शब्द अस्पष्ट और अतिव्यापक है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की पहचान करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, 2000 के दायरे से बाहर है और

इसलिए यह इस एक्ट के तहत नियमों का हिस्सा नहीं हो सकता।[174]

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सरकारी संस्थाएं एकतरफा मध्यस्थों की नियुक्ति नहीं कर सकतीं

नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि सरकारी संस्थाएं और पीएसयू सार्वजनिक-निजी मध्यस्थता समझौतों में एकतरफा मध्यस्थों की नियुक्ति नहीं कर सकते। उसने कहा कि इस तरह के खंड कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन करते हैं।[175,176] न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या: (i) मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति कानूनी रूप से वैध है, (ii) यदि ऐसी नियुक्ति सरकार द्वारा सार्वजनिक-निजी अनुबंध में की जाती है तो वह संवैधानिक है, और (iii) पक्षों के समान व्यवहार का सिद्धांत मध्यस्थों की नियुक्ति पर लागू होता है।

न्यायालय ने माना कि पक्षों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत मध्यस्थता के सभी चरणों पर लागू होता है, जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति भी शामिल है। उसने आगे कहा कि एक पक्ष को एकतरफा मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति देना मध्यस्थ की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। यह दूसरे पक्ष को विवाद समाधान में समान रूप से भाग लेने से भी रोकता है।

अल्पसंख्यक मामले

वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करने वाले कानून में संशोधन के लिए बिल लोकसभा में पेश

वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया।[177] यह वक्फ एक्ट, 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है।[178] यह एक्ट भारत में वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करता है। एक्ट में वक्फ को मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति के दान के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल में एक्ट का नाम बदलकर 'संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास एक्ट, 1995' कर दिया गया है। बिल को संयुक्त संसदीय समिति (अध्यक्ष: श्री जगदंबिका पाल) को भेजा गया था।[179] बिल की मुख्य विशेषताएं और जेपीसी द्वारा सुझाए गए संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **वक्फ का गठन:** एक्ट में वक्फ के गठन की अनुमति दी गई है: (i) घोषणा, (ii) दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर मान्यता (उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ), या (iii) उत्तराधिकार की रेखा समाप्त होने पर बंदोबस्ती (वक्फ-अलल-औलाद)। एक्ट में किसी भी व्यक्ति द्वारा वक्फ के निर्माण की अनुमति दी गई है। बिल में कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ की घोषणा कर सकता है जो यह दर्शाता हो कि वह कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। बिल उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाता है, जो भावी समय से लागू होगा।
- **सरकारी संपत्ति को वक्फ माना जाएगा:** बिल में कहा गया है कि वक्फ के रूप में चिन्हित कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। कलेक्टर के पद से ऊपर का कोई भी अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति अनिश्चितता की स्थिति में स्वामित्व का निर्धारण करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा।
- **केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना:** एक्ट के तहत, वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद के सदस्यों में संसद सदस्य, राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान शामिल होते हैं। एक्ट के अनुसार, मंत्री को छोड़कर परिषद के सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए और कम से कम दो महिलाएं होनी चाहिए। बिल में परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रख्यात व्यक्तियों के मुसलमान होने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि दो

सदस्य गैर-मुसलमान होने चाहिए।

- **वक्फ बोर्ड की संरचना:** एक्ट बोर्ड के लिए राज्य के मुस्लिम इलेक्टोरल कॉलेज से दो सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करता है: (i) सांसद, (ii) एमएलए और एमएलसी, और (iii) बार काउंसिल के सदस्य। इसके बजाय बिल राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह उपरोक्त प्रत्येक पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित कर सकती है, और उन व्यक्तियों का मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड में निम्नलिखित होने चाहिए: (i) दो गैर-मुसलमान सदस्य, तथा (ii) शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम से कम एक सदस्य। एक्ट में प्रावधान है कि कम से कम दो सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि दो मुसलमान सदस्य महिलाएं हों।

बिल के पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।

[1]Press Note on Second Advance Estimates of Annual Gross Domestic Product for 2024-25, Ministry of Statistics and Programme Implementation, February 28, 2025, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PRESS-NOTE-ON-SAE-2024-25-Q3-2024-25-FRE-2023-24-and-FE-2022-23-M1.pdf .

[2]Frequently Asked Questions on Revision of Wholesale Price Index, Ministry of Commerce and Industry, May 12, 2017, https://eaindustry.nic.in/uploaded_files/FAQs_on_WPI.pdf .

[3]"Developments in India's Balance of Payments during the Third Quarter (October-December) of 2024-25", Reserve Bank of India, March 28, 2025, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR2498F4B98BE08BB249FB91E294D0DD13E94C.PDF .

[4]Reserve Bank of India – Bulletin Weekly Statistical Supplement – Extract, Reserve Bank of India, January 3, 2025, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1850WSS28C1C37A0BC545C587C6979149AA4DCA.PDF .

[5]Resolution of the Monetary Policy Committee, February 5 to 7, 2025, Monetary Policy Statement 2024-25, Reserve Bank of India, February 7, 2025, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR2094189B0DF105514A28A2FA834330E94B26.PDF .

[6]Resolution of the Monetary Policy Committee, August 6 to 8, 2024, Monetary Policy Statement 2024-25, Reserve Bank of India, August 8, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR851491EC642D77743A4BB8B0AAA838FE286.PDF .

[7]Resolution of the Monetary Policy Committee, October 7 to 9, 2024, Monetary Policy Statement 2024-25, Reserve Bank of India, October 9, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1252500AD1D6DF27491B900F3C41B7FAE460.PDF .

[8]Union Budget of India, 2025-26,

[9]Official X account of PIB India, https://x.com/PIB_India/status/1879833525706539057 .

[10]"8th Pay Commission for govt employees approved by Cabinet", Indian Express, as accessed on January 30, 2025, https://indianexpress.com/article/india/8th-pay-commission-govt-staffers-pensioners-9782164/ .

[11]"Cabinet approves Unified Pension Scheme", Press Information Bureau, Cabinet, August 24, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2048607 .

[12]"GM CR briefs the Media on Unified Pension Scheme for Employees", Press Information Bureau, Ministry of Railways, August 26, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2048953

[13]The Income-Tax Bill, 2025, Lok Sabha, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/Income%20tax213202522837PM.pdf?source=legislation .

[14]The Income-Tax Act, 1961, https://incometaxindia.gov.in/documents/income-tax-act-1961-amended-by-finance-no.-2-act-2024.pdf .

[15]Master Directions - Reserve Bank of India (Priority Sector Lending – Targets and Classification) Directions, 2025, Reserve Bank of India, March 24, 2025, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/128MD66C4DDCB167C4DC9A5BD913570CB3D47.PDF .

[16]RBI Releases Revised Priority Sector Lending Guidelines, Reserve Bank of India, March 24, 2025, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR2450721E454D5F784FF3ADF9434D52DD12CC.PDF .

[17]Master Directions – Priority Sector Lending (PSL) – Targets and Classification, Reserve Bank of India, September 4, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/MDPSL803EE903174E4C85AFA14C335A5B0909.PDF

[18]"Government Approves Mutual Credit Guarantee Scheme to Strengthen MSME Manufacturing Sector, fulfilling the budget announcement of 2024-25", Press Information Bureau, Ministry of Finance, January 29, 2025, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097455

[19]Credit Flow to Agriculture – Collateral free agricultural loans, Reserve Bank of India, December 6, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NOT96144E24E148514F10B93A2E1CD4D649B1.PDF .

[20]The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Banking_Laws_as_passed_by_LS.pdf .

[21]The Reserve Bank of India Act, 1934, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2398/1/a1934-2.pdf .

[22]The Banking Regulation Act, 1949, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1885/1/A194910.pdf .

[23]The State Bank of India Act, 1955, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1553/1/AAA1955__23.pdf .

[24]The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1373/4/a1970_5.pdf .

[25]The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1792/3/a1980_40.pdf .

[26]The Reserve Bank of India (Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters) Directions, 2024, Reserve Bank of India, July 30, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/MD122F0B6356D6BC14C85A960DEE7CDD9FBD8.PDF .

[27]Master Circular on Health Insurance Business, IRDAI, May 29, 2024, https://shorturl.at/W7ITM.

[28]Annexures to Master Circular on Health Insurance Business, IRDAI, May 29, 2024, https://shorturl.at/1jgxM.

[29]Master Direction – Reserve Bank of India (Asset Reconstruction Companies) Directions, 2024, Reserve Bank of India, April 24, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/115MD2404242C46DA28A8444FAE9BD210D08DC3D1C1.PDF .

[30]The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2006/1/A2002-54.pdf .

[31]Review of regulatory framework for HFCs and harmonisation of regulations applicable to HFCs and NBFCs, Reserve Bank of India, August 12, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT618E21D4E059654A64844371A4336600F1.PDF .

[32]Review of regulatory framework for Housing Finance Companies (HFCs), Reserve Bank of India, October 22, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT605BE165AA9E8043EFA087339829CCF469.PDF .

[33]Voluntary Transition of Small Finance Banks to Universal Banks, Reserve Bank of India, April 26, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/CIRCULARVOLUNTARYTRANSITIONFROMSFBTOUBDC5035CA4F8C4761AF5A5069859F4340.PDF .

[34]Small Finance Banks: Balancing Financial Inclusion and Viability, RBI Bulletin, Reserve Bank of India, January 21, 2021, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20021

[35]Review of Master Direction - Non-Banking Financial Company – Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017, Reserve Bank of India, August 16, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/CIRCULARREVIEWMD0EF8079DFF124A3E9B223F4AAEE6D8A5.PDF |

[36]Master Directions - Non-Banking Financial Company – Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017, Reserve Bank of India, October 4, 2017, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/MDP2PB9A1F7F3BDAC463EAF1EEE48A43F2F6C.PDF

[37]SEBI Board Meeting, Securities and Exchange Board of India, September 30, 2024, https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/sep-2024/sebi-board-meeting_87154.html .

[38]SEBI Board Meeting, Securities and Exchange Board of India, April 30, 2024, https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/apr-2024/sebi-board-meeting_83115.html .

[39]SEBI Board Meeting, Securities and Exchange Board of India, December 18, 2024, https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/dec-2024/sebi-board-meeting_90042.html .

[40]SEBI Board Meeting, Securities and Exchange Board of India, March 24, 2025, https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/mar-2025/sebi-board-meeting_92900.html .

[41]SEBI/ HO/ AFD/ AFD – PoD – 2/ CIR/ P/ 2023/ 148, Securities and Exchange Board of India, August 24, 2023, https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/aug-2023/mandating-additional-disclosures-by-foreign-portfolio-investors-fpis-that-fulfil-certain-objective-criteria_75886.html .

[42] SEBI Board Meeting, June 27, 2024, https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/jun-2024/sebi-board-meeting_84448.html.

[43]Consultation Paper on permitting increased participation of Non – Resident Indians (NRIs) and Overseas Citizens of India (OCIs) into SEBI registered Foreign Portfolio Investors (FPIs) based out of International Financial Services Centres (IFSCs) in India and regulated by the International Financial Services Centres Authority (IFSCA), Securities and Exchange Board of India, August 25, 2023, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/aug-2023/consultation-paper-on-permitting-increased-participation-of-non-resident-indians-nris-and-overseas-citizens-of-india-ocis-into-sebi-registered-foreign-portfolio-investors-fpis-based-out-of-int-_75915.html |

[44]"Department of Economic Affairs amends Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 in pursuance of Union Budget 2024-25 announcement", Press Information Bureau, Ministry of Finance, August 16, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2046086.

[45]S.O. 3492(E), Ministry of Finance, August 16, 2024, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/aug/doc2024816377701.pdf .

[46]S.O. 3732(E), Ministry of Finance, October 17, 2019, https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/Act%26rules/Foreign%20Exchange%20Management%20%28Non-Debt%20Instrument%29%20Rules%2C%202019%20-%20without%20amendment_2.pdf .

[47]Norms for sharing of real time price data to third parties, Securities and Exchange Board of India, May 24, 2024, https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2024/norms-for-sharing-of-real-time-price-data-to-third-parties_83572.html .

[48]"Cabinet approves Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)", Press Information Bureau, Cabinet, March 19, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112771 |

[49] "NPS Vatsalya: A Groundbreaking Pension Scheme for Minors", Press Information Bureau, Ministry of Finance, September 20, 2024, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/sep/doc2024920398401.pdf |

[50] F. NO-CSR/13/35/2024, Ministry of Corporate Affairs, October 3, 2024, https://pminternship.mca.gov.in/assets/docs/PMIS_Guidelines.pdf .

[51]The Boilers Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Boilers_Bill,_2024_as_passed_by_RS.pdf .

[52]The Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Oilfields_Regulation_and_Development_Amendment_Bill_As_passed_by_RS.pdf .

[53]Notification of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, June 26, 2020, https://egazette.gov.in/(S(p05kyeo0sc0gsf31behlnssq))/ViewPDF.aspx .

[54]Notification of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, March 21, 2025, https://egazette.gov.in/(S(p05kyeo0sc0gsf31behlnssq))/ViewPDF.aspx .

[55]"Cabinet approves Electronics Component Manufacturing Scheme for making India Atmanirbhar in electronics supply chain", Press Information Bureau, Cabinet, March 28, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116172 |

[56]"Cabinet approves 12 Industrial nodes/cities under National Industrial Corridor Development Programme", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, August 28, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2049312 .

[57]"Government of India developing 11 Industrial Corridor Projects across the country in phased manner", Press

Information Bureau, Ministry of Commerce and Industry, August 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1947855

[58] "Department of Commerce introduces Diamond Imprest Authorization Scheme to boost global competitiveness of diamond sector ", Ministry of Commerce and Industry, Press Information Bureau, January 21, 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2094862 |

[59]"Frequently Asked Questions – The Status Holder Certificate System", Directorate General of Foreign Trade, as accessed on January 28, 2025 https://content.dgft.gov.in/Website/DGFT%20FAQs%20-%20Status%20Holder%20Certificate%20v1.0.pdf .

[60] Notification No. 53, "Introduction of New Scheme as 'Diamond Imprest Authorisation" under Chapter 4 of Foreign Trade Policy 2023, Ministry of Commerce and Industry, January 21, 2025, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/jan/doc2025121487601.pdf |

[61] F.No.1(10)/2018-SP-I., Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, March 6, 2025, https://egazette.gov.in/(S(nh0lso2hcvqhqktgtx0ffcu4))/ViewPDF.aspx .

[62] "Centre notifies scheme for Cooperative Sugar Mills for conversion of existing sugarcane-based feedstock ethanol plants to multi-feedstock based plants", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, March 7, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2109157 |

[63] "Cabinet approves BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) Policy for Fostering High Performance Biomanufacturing", Press Information Bureau, Ministry of Science & Technology, August 24, 2024, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2048569 |

[64] "These 'biofoundries' use DNA to make natural products we need", Manufacturing and Value Chains, World Economic Forum, October 28, 2019, https://www.weforum.org/agenda/2019/10/biofoundries-the-new-factories-for-genetic-products/ |

[65] Union Cabinet approves establishment of Rs.1,000 crore Venture Capital Fund for Space Sector under aegis of IN-SPACe, Department of Space, Press Information Bureau, October 24, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2067667

[66] Civil Appeal (4056-4064 of 1999), Mineral Area Development Authority Etc versus M/S Steel Authority of India and Others, Supreme Court, July 25, 2024, https://api.sci.gov.in/supremecourt/1999/9012/9012_1999_1_1501_54138_Judgement_25-Jul-2024.pdf .

[67] Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1421/3/A1957-67.pdf .

[68] Entry 50, List II – State List, Seventh Schedule, Constitution of India, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/COI...pdf .

[69] Offshore Areas Mineral Conservation Development Rules 2024, Ministry of Mines, https://egazette.gov.in/(S(tileqymlr23uif5tuymawm5r))/ViewPDF.aspx .

[70] The Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2040/6/a2003-17.pdf

[71] Offshore Areas Mineral Trust Rules, 2024, Ministry of Mines, August 9, 2024, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/256256.pdf .

[72] Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024, Ministry of Mines, August 14, 2024, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/256437.pdf .

[73] The Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2023, https://mines.gov.in/admin/storage/app/uploads/64d9e910d2ea21692002576.pdf .

[74] Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2024-25, Union Cabinet, Press Information Bureau, June 19, 2024, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2026697.

[75] "Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Rabi Crops for Marketing Season 2025-26", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, October 16, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2065309

[76] National Food Security Act, 2013, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2113/1/201320.pdf .

[77] "Cabinet approves continuation of schemes of Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan", Press Information Bureau, Cabinet, September 18, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055990 |

[78] "Cabinet approves Nutrient Based Subsidy rates for Rabi Season, 2024 on Phosphatic and Potassic fertilisers", Press Information Bureau, September 18, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055984 |

[79] "Cabinet approves Nutrient Based Subsidy rates for Kharif, 2025 on Phosphatic and Potassic fertilisers", Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilisers, March 28, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116179

[80] "Cabinet approves the Clean Plant Programme under Mission for Integrated Development of Horticulture", Press Information Bureau, Cabinet, August 9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043920 .

[81] "Clean Plant Programme – A major leap forward in horticulture sector", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 11, 2024, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/aug/doc2024811373301.pdf .

[82] "Launch of National Mission on Natural Farming", Press Information Bureau, Cabinet, November 25, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077094 .

[83] "Union Food and Consumer Affairs Minister launches Credit Guarantee Scheme for e-NWR based pledge Financing (CGS-NPF)", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 16, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085018 .

[84] "Warehousing Development Regulatory Authority organises one day conference on e-NWR", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, August 18, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1950221

[85] "Cabinet Approves National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO-Oilseeds) for 2024-25 to 2030-31", Press Information Bureau, Cabinet, October 3, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061646 .

[86] Third Advance Estimates of production of Foodgrains, Oilseeds and Other Commercial Crops for the year 2023-24 – released on June 4, 2024, https://dfpd.gov.in/Home/ContentManagement?Url=edible_oil_scenario.html&ManuId=3&language=1 .

[87] "Cabinet accords approval for progressive expansion of Central Sector Scheme of Agriculture Infrastructure Fund", Press Information Bureau, Cabinet, August 28, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2049318 .

[88] "Cabinet approves the PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY) to promote sustainable agriculture and Krishonnati Yojana (KY) to achieve food security for self sufficiency", Press Information Bureau, Cabinet, October 3, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061649 .

[89] "Cabinet approves continuation of supply of free Fortified Rice under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) and other welfare schemes from July, 2024 to December, 2028", Press Information Bureau, Cabinet, October

9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2063446 .

[90] Operational Guidelines for National Mission on Natural Farming, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, https://www.agriwelfare.gov.in/Documents/HomeWhatsNew/GuidelineofNMNF_FinalApproved_27122024.pdf .

[91] The Telecommunication (Broadcasting And Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Fourth Amendment) Order, 2024, TRAI, July 8, 2024, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_Tariff_4th_amd_08072024_0.pdf .

[92] The Telecommunication (Broadcasting And Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Sixth Amendment) Regulations, 2024, TRAI, July 8, 2024, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_Interconnectionj_6th_08072024_0.pdf .

[93] The Telecommunication (Broadcasting And Cable) Services Standards Of Quality Of Service And Consumer Protection (Addressable Systems) (Fourth Amendment) Regulations, 2024, TRAI, July 8, 2024, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_qos_4th_08072024_0.pdf .

[94] Consultation Paper on Review of Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services, TRAI, August 8, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_08082023_0.pdf .

[95] Recommendations on Telecommunication Infrastructure Sharing, Spectrum Sharing and Spectrum Leasing, TRAI, April 24, 2024, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_24042024_0.pdf .

[96] Encouraging Innovative Technologies, Services, Use Cases and Business Models through Regulatory Sandbox in Digital Communication Sector, TRAI, April 12, 2024, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_12042024.pdf .

[97] G.S.R. 88(E), The Gazette of India, Ministry of Electronics and Information Technology, January 31, 2025, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/260652.pdf .

[98] The Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, https://uidai.gov.in/images/4_Aadhaar_Authentication_for_Good_Governance_Social_Welfare_Innovation_Knowledge_Rules_2020.pdf .

[99] The Aadhaar (Target Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits, and Services) Act, 2016, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2160/5/A2016-18.pdf .

[100] No. L-1/270/2023/CERC, Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2024, The Gazette of India, Central Electricity Regulatory Commission, June 14, 2024, https://cercind.gov.in/regulations/188-Noti.pdf

[101] No. L-7/165(180)/2008-CERC, Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009, Central Electricity Regulatory Commission, June 2, 2009, https://cercind.gov.in/2016/regulation/GZT/40.pdf

[102] Regulation 2 (8), The Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007, https://cea.nic.in/wp-content/uploads/2020/02/grid_connect_reg.pdf ।

[103] "Cabinet approves Viability Gap Funding (VGF) scheme for implementation of Offshore Wind Energy Projects", Press Information Bureau, Ministry of Power, June 19 2024, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2026700.

[104]Viability Gap Funding, Invest India, as accessed on June 25, 2024, https://www.investindia.gov.in/faq-pdf/58/en#:~:text=The%20Viability%20Gap%20Funding%20(VGF,a%20process%20of%20competitive%20bidding .

[105] "Government of India issues Operational Guidelines for Implementation of 'Model Solar Village' under PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana", Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, August 12, 2024, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2044454 ।

[106] No 14/1/2017-Trans-Part(1), Ministry of Power, August 12, 2024, https://cea.nic.in/wp-content/uploads/notification/2024/08/Amendment_in_the_Guidelines_for_Import_Export_Cross_Border_of_Electricity_2018.pdf .

[107] No 14/1/2017-Trans-Trans-Pt (1), Ministry of Power, July 3, 2019, https://cea.nic.in/wp-content/uploads/2021/02/Addendum_on_Gas.pdf .

[108] No. 14/1/2017-Trans, Ministry of Power, December 18, 2018, https://cea.nic.in/wp-content/uploads/2021/02/Guidelines_2018.pdf .

[109] "Ministry of New and Renewable Energy issues scheme guidelines for implementation of Green Hydrogen under SIGHT Scheme (Mode 1 Tranche-II)", Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, July 5, 2024, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2030958 ।

[110] "Tenders awarded for 4.12 lakh tonnes per annum of green hydrogen production and 1,500 MW per annum of electrolyser manufacturing under National Green Hydrogen Mission: Union Power and New & Renewable Energy Minister", Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, February 7, 24, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2003544#:~:text=The%20Union%20Minister%20for%20New,(SIGHT)%20Scheme%20(Mode%2D .

[111] 353/40/2023-NT, Scheme Guidelines For implementation of 'Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition(SIGHT) Programme- Component II; Incentive scheme for Green Hydrogen Production(Mode 1)-Tranche-II" Of the National Green Hydrogen Mission, Ministry of New and Renewable Energy as accessed on July 26,2024, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2024/07/2024070411450093 50.pdf ।

[112] The Railway Board Act, 1905, Ministry of Railways, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2340/1/AAA1905____04.pdf .

[113] The Railways Act, 1989, Ministry of Railways, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1908/5/a1989-24.pdf .

[114] The Bharatiya Vayuyan Vidheyak, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/भारतीया_वायुयान_विधायक_2024 .pdf।

[115] The Aircraft (Security) Amendment Rules, 2024, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/259440.pdf .

[116] The Aircraft (Security) Rules, 2023, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/2023-09/ASR%20Notification_published%20in%20Gazette.pdf .

[117] Rule 8, Aircraft (Security) Rules, 2023, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/2023-09/ASR%20Notification_published%20in%20Gazette.pdf .

[118] The Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2025/Protection_of_Interests_in_Aircraft_Objects_Bill_2025.pdf .

[119] Convention on International Interests in Mobile Equipment, 2001, https://www.icao.int/sustainability/Documents/CPTConvention_AnnexA.pdf .

[120] Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment, 2001, https://www.icao.int/sustainability/Documents/CPTConvention_Protocol_AnnexB.pdf .

[121] The Ministry of Road Transport and Highways launches the Voluntary Vehicle Modernisation Programme or Vehicle Scrapping Policy, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, August 28, 2024, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2049367 .

[122] The Merchant Shipping Bill, 2024 as introduced in Lok Sabha on December 10, 2024,

https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Merchant_Shipping_Bill,_2024.pdf .

[123] The Merchant Shipping Act, 1958, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1562/1/aa1958-44.pdf .

[124] The Coastal Shipping Bill, 2024 as introduced in Lok Sabha on December 2, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Bill_Text_Coastal_Shipping_Bill_2024.pdf .

[125] The Bills of Lading Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Bills_of_Lading_Bill_2024_Bill_Text.pdf .

[126] The Indian Bills of Lading Act, 1856, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2278/5/A1856-9.pdf .

[127] The Indian Ports Bill, 2025 https://prsindia.org/billtrack/the-indian-ports-bill-2025 .

[128] The Indian Ports Act, https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2344?view_type=browse .

[129] 'Curriculum and Credit Framework for Post Graduate Programmes', University Grants Commission, June 14, 2024, https://www.ugc.gov.in/pdfnews/4682468_Curriculum-and-Credit-Framework-for-Postgraduate-Programmes.pdf .

[130] 'National Higher Education Qualification Framework', University Grants Commission, May 2023, https://www.ugc.gov.in/pdfnews/2990035_Final-NHEQF.pdf .

[131] "Cabinet approves PM-Vidyalaxmi scheme to provide financial support to meritorious students so that financial constraints do not prevent any youth of India from pursuing quality higher education", Ministry of Education, Press Information Bureau, November 6, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2071134 .

[132] Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024, Ministry of Education, December 16, 2024, https://egazette.gov.in/(S(0g1jmwckczf00jtss2lfecu4))/ViewPDF.aspx .

[133] Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2086/5/a2009-35.pdf .

[134] Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_9_9_00006_200935_1517807327595&type=rule&filename=RTE%20rules,%202010.pdf .

[135] "Draft UGC (Minimum Qualifications for Appointment and Promotion of Teachers and Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education), Regulations, 2025", University Grants Commission, January 6, 2025, https://www.ugc.gov.in/pdfnews/3045759_Draft-Regulation-Minimum-Qualifications-for-Appointment-and-Promotion-of-Teachers-and-Academic-Staff-in-Universities-and-Colleges-and-Measures-for-the-Maintenance-of-Standards-in-HE-Regulations-2025.pdf ।

[136] UGC Regulations On Minimum Qualifications For Appointment Of Teachers And Other Academic Staff In Universities And Colleges And Measures For The Maintenance Of Standards In Higher Education, 2018, University Grants Commission, July 18, 2018, https://www.ugc.gov.in/pdfnews/4033931_UGC-Regulation_min_Qualification_Jul2018.pdf ।

[137] "Governance in Higher Education: Handbook for Vice Chancellors", University Grants Commission, https://www.ugc.gov.in/e-book/VC%20handbook_Complete.pdf

[138] "UGC (Establishment of and Maintenance Of Standards In Private Universities) Regulations, 2003", University Grants Commission, https://www.ugc.gov.in/oldpdf/regulations/establishment_maintenance.pdf

[139] The Central Universities Act, 2009, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2080/7/a2009-25.pdf .

[140] Civil Appeal No. 9289 of 2019, Supreme Court of India, January 29, 2025, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2019/15961/15961_2019_4_1502_59041_Judgement_29-Jan-2025.pdf ।

[141] "Draft Scheme for Two Examinations for Class X from 2026", Central Board for Secondary Education, February 25, 2025, https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/SCHEME_BOARD_EXAMS_POLICY_25022025.pdf ।

[142] National Education Policy, Ministry of Education, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf .

[143] The Tribhuvan Sahkari University Bill, 2025, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2025/Triभुवन_सहकारी_विश्वविद्यालय_बिल,_2025.pdf।

[144] "Cabinet Approves Continuation and Restructuring of Skill India Programme", Cabinet, Press Information Bureau, February 7, 2025, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2100845

[145] Draft National Sports Governance Bill, 2024, https://yas.nic.in/sites/default/files/Draft%20National%20Sports%20Governance%20Bill%20-2024.pdf .

[146] "Cabinet approves the Department of Science and Technology scheme namely 'Vigyan Dhara'", Press Information Bureau, Ministry of Science & Technology, August 24, 2024, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2048574

[147] "Cabinet approves health coverage to all senior citizens of the age 70 years under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY)", Press Information Bureau, September 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053883 .

[148] "About Ayushman Bharat", Ministry of Health and Family Welfare, accessed on December 15, 2023, https://nha.gov.in/PM-JAY# .

[149] "Ayushman Bharat –Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (AB-PMJAY) to be launched by Prime Minister Shri Narendra Modi in Ranchi, Jharkhand on September 23, 2018", Press Information Bureau, September 22, 2018, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1546948

[150] F. No. 31026/23/2022, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, September 6, 2024, https://pharmaceuticals.gov.in/sites/default/files/UCMPMD_0.pdf

[151] "Union Health Minister Unveils Key Initiatives to boost Nutrition Support for TB Patients and their Families", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, October 7, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2062928 ।

[152] Public Liability Insurance (Amendment) Rules, 2024, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, December 17, 2024, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/259488.pdf .

[153] Public Liability Insurance Rules, 1991, https://thc.nic.in/Central%20Governmental%20Rules/Public%20Liablity%20Insurance%20Rules,%201991.pdf .

[154] Public Liability Insurance Act, 1991, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1960/5/A1991-06.pdf .

[155] Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025, https://www.moef.gov.in/storage/tender/1736828697.pdf .

[156] The Environment (Protection) Act, 1986, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/6196/1/the_environment_protection_act%2C1986.pdf .

[157] Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicles Scrapping Facility) Rules, 2021, https://morth.nic.in/sites/default/files/notifications_document/GSR%20653.pdf .

[158] Cabinet approves implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana – IV (PMGSY-IV) during FY 2024-25 to 2028-29, Cabinet, Press Information Bureau, September 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053894 .

[159] "Cabinet approves Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 Scheme", Press Information Bureau, Cabinet, August 9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043924 .

[160] Cabinet approves implementation of the Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G) during FY 2024-25 to 2028-29, Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, August 9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2043919 .

[161] "Cabinet approves Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan", Press Release, Cabinet, Press Information Bureau, September 18, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055995 .

[162] The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Disaster_Management_(Amendment)_Bill_2024.pdf .

[163] The Disaster Management Act, 2005, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2045/1/AAA2005___53.pdf .

[164] The Immigration and Foreigners Bill, 2025, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2025/Immigration_and_Foreigners_Bill_2025.pdf .

[165] "Cabinet approves Central Sector Scheme "National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme" (N.F.I.E.S.)", Press Information Bureau, June 19, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2026704 |

[166] "Government of India constitutes a Committee to monitor the current situation on Indo-Bangladesh Border (IBB)", Ministry of Home Affairs, Press Information Bureau, August 9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2043603#:~:text=The%20Committee%20will%20be%20headed,%2C%20LPAI%2C%20as%20its%20members ..

[167] "Suo Motu statement by EAM Dr. S Jaishankar in Lok Sabha on the situation in Bangladesh", Ministry of External Affairs, August 6, 2024, https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/38098/Suo_moto_statement_by_EAM_Dr_S_Jaishankar_in_Lok_Sabha__on_the_situation_in_Bangladesh

[168] **The Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024,** https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Constitution_(One_Hundred_and_Twenty-Ninth_Amendment)_Bill,_2024.pdf .

[169] **The Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/The_Union_Territories_Laws_(Amendment)_Bill,_2024.pdf.**

[170] The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/goa852024124017PM.pdf?source=legislation.

[171] **The** Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/Intermediary_Guidelines_and_Digital_Media_Ethics_Code_Rules-2021.pdf.

[172] Writ Petition (L) No. 9792 of 2023, Kunal Kamra vs. Union of India, Bombay High Court, September 20, 2024, https://shorturl.at/tK7ne

[173] CG-DL-E-06042023-244980, Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023, Ministry of Electronics and Information Technology, April 6, 2023, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2023/244980.pdf .

[174] Information Technology Act, 2000, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13116/1/it_act_2000_updated.pdf .

[175] Civil Appeal Nos. 9486-9487 of 2019, Supreme Court of India, 8 November 2024, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2019/28531/28531_2019_1_1502_57055_Judgement_08-Nov-2024.pdf |

[176] Article 14, Part 3, Constitution of India, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15240/1/constitution_of_india.pdf.

[177] Waqf Amendment Bill, 2024, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/PassedBothHouses/THE%20WAQF%20(AMENDMENT)%20BILL,%202025411202521212PM.pdf?source=legislation.

[178] Waqf Act, 1995, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Mussalman_Wakf_(Repeal)_Bill_2024.pdf.

[179] Lok Sabha Synopsis of Debates, August 9, 2024, https://sansad.in/getFile/Synop/18/II/SYN_09082024_ENG.pdf?source=loksabhadocs .

पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च

इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़
तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय
212, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002
टेलीफोन: (011) 2323 4801,4343 4035
www.prsindia.org